FOR REFERENCE ONLY U.P.

पत्रिका संख्या - 245

उत्तर प्रदेश के आय व्ययक का आर्थिक एवं कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण

1992-93

-54
330·(
UTT-

अर्थ एवं संख्या प्रभाग,
राज्य नियोजन संस्थान
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

पत्रिका संख्या-245

उत्तर प्रदेश

के

आय-व्ययक का

आर्थिक एवं कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण

1992-93

NIEPA DC
D07910

अर्थ एवं संख्या प्रभाग

राज्य नियोजन संस्थान
उत्तर प्रदेश
लखनऊ

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No D-7910
Date 16-2-94

शुद्धि पत्र

उत्तर प्रदेश के आय-व्ययक का आर्थिक एवं कार्य सम्बंधी वर्गीकरण- 1992-93

क्र. सं.	पृष्ठ संख्या	मद/पंक्ति	स्तम्भ	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4	5	6
1	विषय सूची	5	-	23-27	23-26
2	4	4	2	701 5	701965
3	4	अन्तिम	-	567 9	56799
4	28	8.2	9	407069	107069
5	29	6	20	45977	[illegible]5977
6	29	8	12	31807	13807
7	29	9.1	20	62007	6207
8	30	4.1	7	5	3
9	30	8.2	9	113135	115313
10	31	6	20	7504	75804
11	44	योग	6	10.0	100.0
12	47	[illegible]	5	2771	52771

विषय-सूची

भाग–1––आर्थिक वर्गीकरण

अध्याय	पृष्ठ संख्या
1––भूमिका	1–2
2––लेखा विवरण	3–12
3––सामंजस्य	13–16
4––कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष	17–22
5––लेखाओं पर टिप्पणी	23–27

भाग–2––कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण

6––(1) आर्थिक एवं कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण	27
(2) कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण के सिद्धान्त	27
(3) सारणियां	27–44
7––कार्यात्मक वर्गीकरण पर टिप्पणी–	45–46
परिशिष्ट––1 (अ) कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण तथा विकासगत एवं अविकासगत व्यय	47
1 (ब) कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण तथा विकासगत एवं अविकासगत व्यय का प्रतिशत वितरण	48

भाग–1

आर्थिक वर्गीकरण

अध्याय–1

भूमिका

1.1–आय-व्ययक राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण वार्षिक वित्तीय अभिलेख है, जिसमें सरकार के विभिन्न स्रोतों से आय तथा व्यय की मदों की धनराशि का स्पष्ट उल्लेख रहता है। इसमें प्रदेश सरकार के समस्त वित्तीय लेन-देनों का पूर्ण विवरण प्रत्येक वर्ष "आय-व्ययक स्मृति-पत्र और ब्योरेवार अनुमान एवं अनुदान" में प्रस्तुत किया जाता है जिसमें क्रमागत तीन वर्ष के वास्तविक, चालू वर्ष के पुनरीक्षित तथा आय-व्ययक वर्ष के अनुमानित आय एवं व्यय का विवरण दिया जाता है। इन अभिलेखों में संविधान के प्राविधानों एवं वैधानिक नियंत्रण की आवश्यकता के अनुसार समस्त प्राप्तियों एवं संवितरणों का वर्णन निर्धारित लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत रहता है। इस प्रकार आय-व्ययक केवल वैधानिक नियंत्रण, प्रशासनिक उत्तरदायित्व एवं लेन-देनों के लेखा सम्परीक्षा सम्बन्धी सीमित उद्देश्य की पूर्ति करता है।

1.2–पंचवर्षीय योजनाओं में इन वित्तीय आंकड़ों के प्रयोग का महत्व बढ़ने के साथ आय-व्ययक सम्बन्धी आंकड़ों एवं तथ्यों के प्रस्तुतीकरण के विधि-विधान में काफी परिवर्तन एवं सुधार किए गए हैं। फिर भी आय-व्ययक में दिए गए आंकड़ों को वर्तमान प्रणाली से विभिन्न लेन-देनों के आर्थिक प्रभाव का सरलता से सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता है। उदाहरणार्थ आय-व्ययक सम्बन्धी संसाधनों से पूंजी निर्माण, राज्य सरकार की बचत, सरकार द्वारा राज्य आयमें अंशदान, राज्य सरकार के आय-व्ययक सम्बन्धी लेन-देनों से घाटे के परिणाम का ज्ञान, राज्य के आय-व्ययक से नही हो पाता है। इसी प्रकार कुछ विभागों द्वारा चलाए गए वाणिज्यिक उपक्रमों के कार्यवाहक व्यय से उत्पादन की लागत का बोध तो होता है किन्तु "अन्तिम वस्तुओं एवं सेवाओं" पर किए गए व्यय का कोई संकेत नहीं मिलता है। अतः इसे राज्य सरकार के कुल व्यय में शामिल नहीं होना चाहिए।

1.3–राज्य सरकार के आय-व्ययक में प्रस्तावित व्यय की मदों को मुख्यतः चालू खपत सम्बन्धी व्यय, पूंजी निर्माण और वित्तीय निवेश आदि के रूप में बांटा जाता है। आय-व्ययक से इस बात का ज्ञान सुगमता से नहीं हो पाता है कि किसी विशेष योजना के अन्तर्गत चालू खपत सम्बन्धी व्यय तथा पूंजी अथवा व्यवस्था सम्बन्धी व्यय पृथक-पृथक कितना है। उदाहरण के लिए खपत सम्बन्धी व्यय में प्रशासनिक व्यय के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक व्यवस्था भी सम्मिलित रहती है जिसका विकास में उतना ही योगदान है जितना वस्तुगत पूंजी निर्माण का होता है। विकासशील अर्थ-व्यवस्था में राजकीय व्यय का एक महत्वपूर्ण योगदान है अतः राजकीय लेन-देनों का अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर पड़ने वाले प्रभाव एवं शेष अर्थ-व्यवस्था के शेष खण्डों से उपलब्ध तत्सम्बन्धी प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। विशेष अर्थ-व्यवस्था से तात्पर्य राज्य सरकार के अतिरिक्त अन्य सभी संस्थाओं–जैसे केन्द्रीय सरकार, अन्य राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, निजी वाणिज्यिक निगमों, कम्पनियों और व्यक्तियों से है। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य सरकार के आय-व्ययक का आर्थिक एवं कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण किया जाता है। आर्थिक वर्गीकरण में समस्त सरकारी ब्योरेवार व्यय को पृथक करके उनको अर्थ-पूर्ण आर्थिक श्रेणियों अर्थात् खपत, पूंजी निर्माण, वित्तीय निवेश आदि के रूप में वर्गीकृत किया गया है जबकि कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण में व्ययों को सम्बन्धित प्रायोजनाओं जैसे प्रशासन, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आर्थिक सेवाओं आदि के अन्तर्गत बांट कर दिया गया है।

1.4–उत्तर प्रदेश सरकार के आय-व्ययक सम्बन्धी लेन-देनों के आर्थिक प्रभाव को सुगमतापूर्वक समझने के उद्देश्य से आय-व्ययक का आर्थिक वर्गीकरण सर्वप्रथम वर्ष 1965–66 मे अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया। वर्ष 1966–67 मे आर्थिक वर्गीकरण के साथ-साथ प्रयोजनात्मक प्रभावों का अध्ययन करने के उद्देश्य से कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण भी आरम्भ किया गया। केन्द्रीय सरकार के वित्त मंत्रालय का अर्थ प्रभाग, केन्द्रीय सरकार के आय-व्ययक का आर्थिक वर्गीकरण 1957–58 से तथा आर्थिक एवं कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण वर्ष 1967–68 से कर रहा है।

1.5–इस प्रकाशन में अध्ययन का विषय क्षेत्र वर्ष 1991–92 के आय-व्ययक के समान ही है अर्थात् इसमें वर्ष 1992–93 के लिए आय-व्ययक में दिए गए वर्ष 1990–91 के वास्तविक व्यय, 1991–92 के पुनरीक्षित अनुमान तथा वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक अनुमानों के विभिन्न मदों को पुनर्वर्गीकृत एवं पुनः समूहीकृत करके उनका विश्लेषण किया गया और उन्हें आर्थिक वर्गीकरण के साथ-साथ कार्यात्मक वर्गीकरण के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

1.6––राज्य सरकार के समस्त लेन-देनों को वर्गीकृत एवं समूहीकृत करने हेतु केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित रीति विधान को अपनाया गया है और भारत सरकार द्वारा गठित क्षेत्रीय लेखा समिति को अन्तिम रिपोर्ट में दी गई संस्तुतियों के आधार पर इसे संशोधित भी किया गया। वर्ष 1983–84 में केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा आयोजित कार्य-शाला में हुए विचार-विमर्श को ध्यान में रखते हुए पुस्तिका के विवरणों में आवश्यक संशोधन पुनः किए गये। उदाहरणार्थ परिवहन एवं संचार के अनुरक्षण एवं मरम्मत सम्बन्धी व्यय का आधा भाग पूंजीगत तथा आधा खपत सम्बन्धी व्यय माना गया। वर्गीकरण हेतु अपनाई गई प्रणाली के अनुसार एक ओर चालू लेन-देन को पूंजीगत लेन-देन से पृथक किया गया है तथा दूसरी ओर "वस्तुओं एवं सेवाओं" में लेन-देन अन्तरण से पृथक कर दिया गया। इसी प्रकार राजकीय प्रशासन के चालू लेन देन विभागीय वाणिज्य उपक्रमों के चालू लेन देन से पृथक कर दिया गया क्योंकि राजकीय प्रशासन के "वस्तुओ और सेवाओं" पर चालू व्यय अन्तिम परिव्यय है, जबकि विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के चालू व्यय अन्तिम परिव्यय है जैसे कच्चा माल, ईंधन इत्यादि के मूल्य। इसी प्रकार शुद्ध वित्तीय लेन-देन को भी 'वस्तुओं और सेवाओं" में देन-देन एवं अन्तरणों से पृथक कर दिया गया।

केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, भारत सरकार, नई दिल्ली के अधिकारियों से अगस्त, 1986 में हुए विचार-विमर्श के अनुसार कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण की मदों में कुछ संशोधन किए गये जिसके अनुसार पूर्व वर्षों में प्रस्तुत मद–5 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धी सेवाओं को दो उपमदों "समाज कल्याण सेवायें" तथा "समाज सुरक्षा सेवाओं" में विभक्त कर दिया गया। मद 8.5 परमाणुविक ऊर्जा की मद अतिरिक्त मद के रूप में जोड़ी गई। इसी प्रकार मद-9 अन्य सेवाओं को दो उपमदों विपदा सहायता अन्य विविध कार्य में विभक्त कर प्रस्तुत किया गया।

राष्ट्रीय लेखा सलाहकार समिति की दिनांक 3 से 5 जून, 1987 की बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार वर्गीकरण में कुछ मुख्य परिवर्तन किए गए। स्कूल के बच्चों को भोजन एवं पौष्टिक आहार पर लिए गए व्यय तथा गुप्त सेवा व्यय को वस्तुओं एवं सेवाओं पर व्यय न मानकर बल्कि चालू अन्तरण मानकर आर्थिक वर्गीकरण के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया। इसी प्रकार पशु स्वास्थ्य सेवाओं पर किए गए व्यय को कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण के अन्तर्गत आर्थिक सेवा न मानकर स्वास्थ्य सेवाओं के अन्तर्गत वर्गीकरण किया गया। अभी तक सम्पूर्ण पेन्शन राशि को सरकारी प्रशासन के अन्तर्गत माना जाता रहा था, जिसे अब सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के वेतन और मजदूरी पर हुए व्यय के अनुपात में विभाजित कर दिया गया। इसे पुनः कार्य सम्बन्धी वर्गीकृत मदों के वेतन और मजदूरी सम्बन्धी व्यय के अनुपात में विभाजित किया गया। विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के चालू खाते में वस्तुओं एवं सेवाओं पर हुए व्यय में से किराए की राशि को अलग कर अतिरिक्त मद के रूप में प्रस्तुत किया गया।

1.7–राज्य सरकार के आय-व्ययक सम्बन्धी समस्त लेन-देनों को निम्न 6 प्रमुख लेखाओं में पुनर्गठित किया गया है। प्रत्येक लेखा के दो पक्ष हैं––आय पक्ष तथा व्यय पक्ष––

लेखा 1––वस्तुओं एवं सेवाओं के लेन-देन और अन्तरण	सरकारी प्रशासन का चालू खाता।
लेखा 2––वस्तुओं एवं सेवाओं के लेन-देन और अन्तरण	विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का चालू खाता।
लेखा 3––वस्तुओं एवं सेवाओं के लेन-देन और अन्तरण	सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का पूंजी खाता।
लेखा 4––वित्तीय परिसम्पत्तियों में परिवर्तन	सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का पूंजी खाता।
लेखा 5––वित्तीय दायित्वों में परिवर्तन	सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का पूंजी खाता।

लेखा 6–सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का रोकड़ एवं पूंजी समाधान खाता।

1.8–प्रस्तुत पुस्तिका में आय-व्ययक के कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण के अनुसार विभिन्न मदों के अन्तर्गत वास्तविक व्यय एवं उसका प्रतिशत वितरण तथा विकासगत एवं अविकासगत व्यय के वास्तविक एवं प्रतिशत वितरण सम्बन्धी वर्ष 1971–72, 1973–74, 1978–79, 1979–80, 1984–85 तथा 1987–88 से 1990–91 तक के आंकड़ों की तुलनात्मक स्थिति परिशिष्ट के रूप में दिखाई गई है।

अध्याय–2

लेखा विवरण

2.1—आय-व्ययक सम्बन्धी लेन-देन का पुनर्वर्गीकरण तथा पुनः समूहीकरण करके जिन 6 लेखाओं को प्रस्तुत किया गया है उन्हें देखने से स्पष्ट है कि लेखा–1 से 3 सरकार के वस्तुओं एवं सेवाओं तथा अन्तरणों के लेन-देन से सम्बन्धित है। लेखा-1 के व्यय पक्ष में सरकार के खपत सम्बन्धी व्यय तथा चालू अन्तरण का ब्योरा दिया गया है जिसमें खपत सम्बन्धी व्यय के अन्तर्गत मजदूरी व वेतन एवं पेन्शन तथा वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय को अलग-अलग दर्शाया गया है। इस लेखा के आय पक्ष में सरकार के प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, उद्यमों एवं संपत्तियों से आय, परिवारों से अन्तरण तथा केन्द्रीय सरकार से प्राप्त अनुदान का ब्योरा दिया गया है। लेखा-2 में राज्य सरकार के विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों जैसे–वन, सिंचाई, दुग्ध विकास, राजकीय मुद्रणालय तथा उद्योग द्वारा उत्पादन व्यय एवं प्राप्ति का ब्योरा दिया गया है। लेखा–3 में विभिन्न मदानुसार सरकारी प्रशासन व विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के पूंजी व्यय तथा पूंजी अन्तरण का विवरण दिया गया है।

2.2—लेखा–4 से 6 तक सरकार के समस्त वित्तीय लेन-देनों का ब्योरा दिया गया है जो शेष अर्थ-व्यवस्था पर सरकार के शुद्ध वित्तीय दायित्वों को दर्शाता है। लेखा–4 में वित्तीय परिसंपत्तियों में शुद्ध वृद्धि सम्बन्धी समस्त लेन-देनों को वर्गीकृत किया गया है जिसमें अंशकों में निवेश, पूंजी निर्माण हेतु ऋण एवं अग्रिम, चालू खपत हेतु ऋण एवं अग्रिम आदि सम्मिलित है। लेखा–5 सरकार के वित्तीय दायित्वों को दर्शाता है। जिसमें सार्वजनिक ऋण, निक्षेप तथा विप्रेषण, सम्मिलित किया गया है। लेखा–6 सरकारी प्रशासन तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का रोकड़ एवं पूंजी का समाधान खाता है। यह खाता लेखा 3, 4, 5 को शुद्ध स्थिति का समावेश करते हुए राज्य सरकार के रोकड़ स्थिति से सम्बन्धित समस्त लेन-देन के प्रभाव को दर्शाता है।

2.3—उपरोक्त 6 लेखा आगे के पृष्ठों पर दिए गए हैं।

———

उत्तर प्रदेश

लेखा

वस्तुओं और सेवाओं के लेन-देन और अन्तरण

व्यय		वास्तविक 1990–91	पुनरीक्षित अनुमान 1991–92	आय-व्ययक अनुमान 1992–93
1		2	3	4
1–खपत सम्बन्धी व्यय	..	310923	305621	333933
1.1–कर्मचारियों को प्रतिकर		244284	237756	279069
(क) मजदूरी और वेतन	..	222300	217385	257978
(ख) पेन्शन	..	21984	20371	21091
1.2–शुद्ध वस्तुओं और सेवाओं का क्रय	..	66639	67865	54864
(क) वस्तुओ और सेवाओं का क्रय*	..	77657	79702	66676
(ख) घटाइये––वस्तुओं और सेवाओं का विक्रय	..	11018	11837	11812
2–अन्तरण अदायगियां–	..	454302	537522	592089
2.1–ब्याज	..	105090	139817	171838
2.2–अनुदान	..	258478	271118	286606
(क) स्थानीय निकायों को	..	12371	21055	21805
(ख) सहकारी संस्थाओं को	..	12154	13077	713
(ग) शिक्षा संस्थाओं को	..	189202	185783	215017
(घ) अन्य संस्थाओं को	..	44751	51203	49071
2.3–राज सहायता **	..	63888	73449	74311
2.4–अन्य चालू अन्तरण	..	26846	53138	59334
3––चालू खाते में बचत	..	(–)63260	(–)48471	(–)69537
4––योग	..	701965	794672	856485

*1990–91, 1991–92 एवं 1992–93 में राजकीय मुद्रणालय की हानियों का अभ्यारोपित मूल्य क्रमशः 1088 लाख रु0, 471 लाख रु0 और 1289 लाख रु0 के बराबर मानकर प्रशासनिक खपत सम्बन्धी व्यय में शामिल कर लिया गया है।

**1990–91, 1991–92 एवं 1992–93 में उद्योग तथा सिचाई प्रतिष्ठानों की हानियों का अभ्यारोपित मूल्य क्रमशः 56799 लाख रु0, 66764 लाख रु0 और 69351 लाख रु0 राज सहायता मानकर सम्मिलित कर लिया गया है।

सरकार

–1

––सरकारी प्रशासन का चालू खाता

(लाख रुपयों में)

राजस्व		वास्तविक 1990–91	पुनरीक्षित अनुमान 1991–92	आय-व्ययक अनुमान 1992–93
5		6	7	8
5–कर राजस्व	..	545984	610799	660260
5.1–प्रत्यक्ष कर	..	72816	88917	94306
(क) केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा	..	69185	85781	91213
(ख) राज्य कर	..	3631	3136	3093
5.2–अप्रत्यक्ष कर	..	473168	521882	565954
(क) केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा	..	173379	197661	216328
(ख) राज्य कर	..	299789	324221	349626
6–उद्यमों और संपत्तियों से आय	..	10349	10664	10198
6.1–विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से लाभ	..	3140	4498	4477
6.2–विनियोग से आय	..	183	925	968
6.3–राज्य विद्युत् परिषद् से ब्याज की प्राप्तियां	..	–	–	–
6.4–ब्याज की प्राप्तियों	..	5410	4151	3655
6.5–संपत्तियों से अन्य आय	..	1616	1090	1098
7–परिवारों से अन्तरण	..	16694	39765	50841
8–राजस्व अनुदान, अंशदान एवं शेष अर्थ-व्यवस्था से वसूलियां		128938	133444	135186
9–योग	..	701965	794672	856485

उत्तर प्रदेश

लेखा

वस्तुओं और सेवाओं के लेन-देन और अन्तरण—

व्यय		वास्तविक 1990–91	पुनरीक्षित अनुमान 1991–92	आय-व्ययक अनुमान 1992–93
1		2	3	4
व्यय–				
1–मजदूरी और वेतन	..	24488	21793	22551
2–वस्तुयें और सेवायें	..	9057	14420	18704
3–किराया	..	14	29	30
4–मरम्मत और अनुरक्षण	..	8624	8088	7397
5–ब्याज	..	24620	33284	36003
6–अवमूल्यन के लिए व्यवस्था	..	3229	3517	3728
7–ग्रहीत लाभ	..	–	–	–
8–सरकारी प्रशासन के चालू खाते में अन्तरित लाभ	..	3140	4498	4477
9––योग	..	73172	85629	92890

सरकार

—2

विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का चालू खाता

(लाख रुपयों में)

राजस्व	वास्तविक 1990-91	पुनरीक्षित अनुमान 1991-92	आय-व्ययक अनुमान 1992-93
5	6	7	8
10-विक्रय से आय-- ..	71461	83103	90078
(क) वन ..	8809	9291	9722
(ख) सिंचाई*	61164	72550	78551
(ग) दुग्ध सम्पूर्ति ..	--	--	--
(घ) राजकीय मुद्रणालय** ..	1445	1216	1759
(ङ) उद्योगों†	43	46	46
11-अवमूल्यन रक्षित निधि पर ब्याज	1711	2526	2812
12-योग ..	73172	85629	92890

*सिंचाई प्रतिष्ठानों द्वारा वर्ष 1990-91, 1991-92 एवं 1992-93 में उठाई गई हानियों का अभ्यारोपित मूल्य क्रमशः 56786 लाख रु0, 66732 लाख रु0 और 69313 लाख रु0 सम्मिलित है ।

**राजकीय मुद्रणालय द्वारा वर्ष 1990-91, 1991-92 एवं 1992-93 में उठाई गई हानियों का अभ्यारोपित मूल्य क्रमशः 1088 लाख रु0, 471 लाख रु0 और 1289 लाख रु0 सम्मिलित है ।

†औद्योगिकी प्रतिष्ठानों द्वारा वर्ष 1990-91, 1991-92 एवं 1992-93 में उठाई गई हानियों का अभ्यारोपित मूल्य क्रमशः 13 लाख रु0 32 लाख रु0, एवं 38 लाख रु0 सम्मिलित है ।

उत्तर प्रदेश

लेखा

वस्तुओं और सेवाओं के लेन-देन और अन्तरण–

संवितरण		वास्तविक 1990–91	पुनरीक्षित अनुमान 1991–92	आय-व्ययक अनुमान 1992–93
1		2	3	4
1--सकल पूंजी निर्माण	..	173859	162873	172716
(अ) सरकारी प्रशासन द्वारा	..	128903	127726	126072
1.1--भवन तथा अन्य निर्माण	..	110441	120146	123277
(क) भवन निर्माण		35088	36096	33618
(1) नया परिव्यय		35026	36095	33613
(2) नवीकरण एवं प्रतिस्थापन	..	62	1	5
(ख) अन्य निर्माण	..	75353	84050	89659
(1) नया परिव्यय	..	74215	81098	87536
(2) नवीकरण एवं प्रतिस्थापन	..	1138	2952	2123
1.2--मशीन एवं उपकरण	..	5257	8818	5535
(1) नया परिव्यय	..	5257	8818	5535
(2) नवीकरण एवं प्रतिस्थापन	..	–	–	–
1.3--तालिकागत सामान में वृद्धि	..	13205	(–)1238	(–)2740
(1) निर्माण सम्बन्धी सामान	..	(–)66	400	400
(2) अन्न, उर्वरक आदि का भण्डार	..	13271	(–)1638	(–)3140
(ब) वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों द्वारा	..	44956	35147	46644
1.4--भवन तथा अन्य निर्माण	..	42405	33188	43929
(क) भवन निर्माण	..	308	235	266
(1) नया परिव्यय		308	235	266
(2) नवीकरण एवं प्रतिस्थापन	..	–	–	–
(ख) अन्य निर्माण	..	42097	32953	43663
(1) नया परिव्यय	..	42095	32945	43655
(2) नवीकरण एवं प्रतिस्थापन	..	2	8	8
1.5--मशीन एवं उपकरण	..	2002	1958	2714
(1) नया परिव्यय	..	778	661	1114
(2) नवीकरण एवं प्रतिस्थापन	..	1224	1297	1600
1.6--तालिकागत सामान में शुद्ध वृद्धि		549	1	1
2--पूंजी अन्तरण	..	46482	45595	38462
2.1-पूंजी अनुदान स्थानीय निकायों को	..	9063	9001	7475
2.2-पूंजी अनुदान अन्य को	..	37587	36593	30986
2.3-जमींदारों और जागीरदारों आदि को प्रतिकर	..	(–)168	1	1
3--योग	..	220341	208468	211178

सरकार

—3

—सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का पूंजी खाता

(लाख रुपयों में)

प्राप्तियां	वास्तविक 1990-91	पुनरीक्षित अनुमान 1991-92	आय-व्ययक अनुमान 1992-93
5	6	7	8
प्राप्तियां-			
4—सकल बचत ..	(-)60031	(-)44954	(-)65809
4.1-सरकारी प्रशासन के चालू खाते में बचत ..	(-)63260	(-)48471	(-)69537
4.2-विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से अवमूल्यन के लिए व्यवस्था	3229	3517	3728
4.3-विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का गृहीत लाभ ..	-	-	-
5—पूंजी अन्तरण ..	82171	101501	84991
5.1-सम्पदा शुल्क ..	-	-	-
5.2-भारत सरकार तथा अन्य राज्यों से पूंजीगत अनुदान, अंशदान और प्राप्तियां	82171	101501	84991
6—वस्तुओं और सेवाओं से सम्पूर्ण लेन-देन और अन्तरणों में शेष ..	198201	151921	191996
7-योग ..	220341	208468	211178

उत्तर प्रदेश सरकार

लेखा–4

वित्तीय परिसम्पत्तियों में परिवर्तन

सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का पूंजी खाता

(लाख रुपयों में)

मद	वास्तविक 1990–91	पुनरीक्षित अनुमान 1991–92	आय-व्ययक अनुमान 1992–93
1	2	3	4
क––व्यय			
1––निवेश	17339	13524	16223
1.1–राजकीय उपक्रमों में ..	14549	11237	10393
1.2–अन्य उपक्रमों में ..	2790	2287	5830
2––ऋण एवं अग्रिम ..	102692	157809	106459
2.1––पूंजी निर्माण हेतु ..	92535	145456	94335
(क) सहकारिता को ..	8	1748	76
(ख) स्थानीय निकायों को ..	4782	4871	4086
(ग) राज्य विद्युत् परिषद् को ..	79169	123829	78864
(घ) सार्वजनिक उद्यमों को ..	5127	8325	5065
(ङ) अन्य को ..	3449	6683	6244
2.2––चालू खपत हेतु ..	10157	12353	12124
(क) सहकारिता को ..	9437	10844	11541
(ख) स्थानीय निकायों को ..	–	652	–
(ग) सार्वजनिक उद्यमों को ..	600	378	300
(घ) अन्य को ..	120	479	283
3––योग ..	120031	171333	122682

5	6	7	8
ख––आय			
4––ऋणों की वसूलियां	36521	10696	7944
5––शेष––वित्तीय परिसम्पत्तियों में शुद्ध वृद्धि ..	83510	160637	114738
6–योग ..	120031	171333	122682

उत्तर प्रदेश सरकार

लेखा–5

वित्तीय दायित्वों में परिवर्तन

सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का पूंजी खाता

(लाख रुपयों में)

मद	वास्तविक 1990–91	पुनरीक्षित अनुमान 1991–92	आय-व्ययक अनुमान 1992–93
1	2	3	4
क–व्यय			
1–सार्वजनिक ऋणों की वापसी ..	52986	57488	69859
1.1–स्थायी ऋण	114	179	4244
1.2–केन्द्रीय सरकार से ऋण ..	44869	43773	51397
1.3–अन्य ऋण ..	8003	13536	14218
2–शेष वित्तीय दायित्वों में शुद्ध वृद्धि	282954	306354	317350
3–योग ..	335940	363842	387209
5	6	7	8
ख–आय–			
4–सार्वजनिक ऋण ..	265999	292838	333798
4.1–स्थायी ऋण ..	47653	57571	61307
4.2–केन्द्रीय सरकार से ऋण ..	199499	224748	260596
4.3–अन्य ऋण ..	14281	10519	11895
4.4–अल्पकालीन ऋण (शुद्ध) ..	4566	–	–
5–अनिधिवद्ध ऋण (शुद्ध) ..	45618	30143	30655
6–अन्तर्राज्यीय उचन्त लेखा (शुद्ध) ..	10	–	–
7–अन्य–ऋण निक्षेप एवं विप्रेषण (शुद्ध) ..	24313	40861	22756
8–योग ..	335940	363842	387209

उत्तर प्रदेश सरकार

लेखा–6

सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का रोकड़ एवं पूंजी समाधान खाता

(लाख रुपयों में)

मद	वास्तविक 1990-91	पुनरीक्षित अनुमान 1991-92	आय-व्ययक अनुमान 1992-93
1	2	3	4
क-व्यय--			
1—वस्तुओं और सेवाओं के सब लेन-देन और अन्तरणों पर घाटा - (सन्तुलनकारी मद लेखा-3)	198201	151921	191996
2—वित्तीय परिसम्पत्तियों में शुद्ध वृद्धि (सन्तुलनकारी मद लेखा-4)	83510	160637	114738
3—रोकड़ बाकी में वृद्धि ..	1243	—	10616
4—योग ..	282954	312558	317350
5	6	7	8
ख-आय--			
5-वित्तीय दायित्वों में शुद्ध वृद्धि (सन्तुलनकारी मद लेखा–5) ..	282954	306354	317350
6-रोकड़ बाकी में कमी ..	—	6204	—
7-योग ..	282954	312558	317350

अध्याय–3

सामंजस्य (रिकन्सिलियेशन)

आय-व्ययक (वित्तीय विवरणों) में दिये गये राजस्व और व्यय के योग आर्थिक वर्गीकरण में दिए गए योगों से नहीं मिलते है। उदाहरणार्थ सामान्य आय-व्ययक में वर्ष 1992–93 के लिए राजस्व लेखा की प्राप्तियां 10045.97 करोड़ रु0 रखी गई है जबकि इस वर्गीकरण के लेखा 1 में राजकीय प्रशासन का इस वर्ष के लिए चालू राजस्व 8564.85 करोड़ रु0 निकाला गया है। इसी प्रकार वर्ष 1992–93 के लिए राजस्व लेखा से बाह्य राजकीय पूंजीगत व्यय 1059.42 करोड़ रु0 है जबकि यही धनराशि इस वर्गीकरण के लेखा 3 में 2111.78 करोड़ रु0 है। इस वर्गीकरण के अनुसार विभिन्न अतिरेक तथा घाटे आय-व्ययक में दिखाए गए अतिरेक एवं घाटों से भिन्न है। उदाहरणार्थ आय-व्ययक का राजस्व लेखा 1356.71 करोड़ रुपये का घाटा इंगित करता है जबकि आर्थिक वर्गीकरण में राजकीय प्रशासन (लेखा-1) का चालू खाता 695.37 करोड रु0 का ही घाटा प्रदर्शित करता है। सामान्य आय-व्ययक के पुनः वर्गीकरण के परिणामस्वरूप उपरोक्त प्रकार की विषमताओं को देखते हुए यह आवश्यक है कि इन विषमताओं की व्याख्या की जाए। इसी उद्देश्य से आर्थिक वर्गीकरण के आंकड़ों का सामान्य आय-व्ययक में दिए गए राजस्व व्यय तथा पूंजी लेखा के आंकड़ों से सामन्जस्य प्रस्तुत किया गया है। यह सामन्जस्य प्राप्तियों और व्ययों के अपेक्षित अनुमान की तुलना के साथ-साथ पुनः वर्गीकरण में निहित समायोजनों को भी संक्षेप में प्रस्तुत करता है। यह सामन्जस्य अनुवर्ती सारणियों में दिखाया गया है।

सारणी–3.1

(लाख रुपयों में)

मद	वास्तविक 1990–91	पुनरीक्षित अनुमान 1991–92	आय-व्ययक अनुमान 1992–93
1	2	3	4
I–चालू लेखा–राजस्व–			
1–राजस्व जैसा कि वित्तीय विवरण में दिखाया गया है ..	831010	953015	1004597
2–घटाइए–– ..	132163	163349	153104
(1) पूंजी लेखा में अतिरिक्त सम्पदा शुल्क ..	–	–	–
(2) भूमि और सम्पत्ति का विक्रय	36	41	42
(3) वस्तुओं एवं सेवाओं के विक्रय से प्राप्ति जिनको व्यय में से घटा दिया गया	11018	11837	11812
(4) भारत सरकार से प्राप्त एवं पूंजी लेखा में अन्तरित पूंजी प्रकृति के अनुदान	82171	101501	84991
(5) निधियों से प्राप्तियां	1	–	–
(6) रोकड़ शेष के विनियोजन खाते पर ब्याज ..	178	500	500
(7) विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की बिक्री से आय ..	13574	15868	19438
(8) विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से ब्याज की प्राप्तियां	24620	33284	36003
(9) पेंशन सम्बन्धी अंशदान और वसूलियां ..	565	318	318
3–जोड़िए– ..	3118	5006	4992
(1) राजस्व अनुदान, अंशदान एवं वसूलियां जो राजस्व की प्राप्तियों के रूप में दिखाई गई	–	508	515
(2) विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का लाभ ..	3140	4498	4477
(3) अन्य प्रकीर्ण मदें	(–)22	–	–
4—कुल समायोजन	(–)129045	(–)158343	(–)148112
5—आर्थिक वर्गीकरण में दिखाया गया राजकीय प्रशासन का चालू राजस्व (लेखा-1, मद-9)	701965	794672	856485

सारणी–3.1

(लाख रुपयों में)

मद	वास्तविक 1990–91	पुनरीक्षित अनुमान 1991–92	आय-व्ययक अनुमान 1992–93
1	2	3	4
2–चालू लेखा—व्यय–			
1–वित्तीय विवरणों में दिखाए गए राजस्व सम्बन्धी व्यय ..	953835	1046608	1140268
2–घटाइए–– ..	188588	203973	214761
(1) वस्तुओं एवं सेवाओं के विक्रय से प्राप्ति ..	11018	11837	11812
(2) ऋण कम करना अथवा उसके परिहार के लिए विनियोग ..	16310	18720	21379
(3) विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से ब्याज की वसूलियों को प्राप्तियां न मानना	24620	33284	36003
(4) रोकड़ शेष विनियोजन खाते पर ब्याज ..	178	500	500
(5) राजस्व लेखा में पूंजी जैसा व्यय	110302	116109	108611
(6) विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का चालू शुद्ध व्यय ..	12145	13896	17773
(7) पूंजी लेखा में लेखा पालन सम्बन्धी अन्तरण ..	9234	8168	7688
(8) निधियों में अन्तरण (निधियों के अन्तरण के समायोजन के पश्चात्)	4216	1141	10677
(9) पेंशन सम्बन्धी अंशदान और वसूलियां ..	565	318	318
3–जोड़िए	(–)22	508	515
(1) पूंजी लेखा में राजस्व जैसा व्यय	–	–	–
(2) राजस्व अनुदान, अंशदान एवं वसूलियां जो कि राजस्व प्राप्तियों के रूप में दिखाई गई	–	508	515
(3) अन्य प्रकीर्ण मदें	(–)22	–	–
4–कुल समायोजन	(–)188610	(–)203465	(–)214246
5–आर्थिक वर्गीकरण में दिखाया गया राजकीय प्रशासन का चालू व्यय (लेखा–1, मद 1+2)	765225	843143	926022

सारणी–3.1 (समाप्त)

(लाख रुपयों में)

मद	वास्तविक 1990–91	पुनरीक्षित अनुमान 1991–92	आय-व्ययक अनुमान 1992–93
1	2	3	4
III–पूंजी लेखा––व्यय–			
1––वित्तीय विवरण में दिखाया गया राजस्व से चुकाया जाने वाला पूंजीगत व्यय	117758	94954	105942
2–घटाइए–– ..	17375	13565	16265
(1) वित्तीय निवेश ..	17339	13524	16223
(2) पूंजी लेखा में राजस्व जैसा व्यय ..	–	–	–
(3) विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों का चालू व्यय ..	–	–	–
(4) राजस्व प्राप्तियों में से भूमि और सम्पत्ति की विक्रय राशि का घटाया जाना	36	41	42
3–जोड़िए–– ..	119958	127079	121501
(1) राजस्व लेखे से चुकाया जाने वाला पूंजी व्यय	110302	116109	108611
(2) विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के राजस्व लेखा से चुकाया जाने वाला पूंजीगत व्यय	9234	8168	7688
(3) वसूलियों के लिए बजट में व्यय को पूरा करना	–	–	–
(4) निधियों से अन्तरण ..	422	2802	5202
(5) अन्य प्रकीर्ण मदें ..	–	–	–
4–कुल समायोजन ..	102583	113514	105236
5–आय-व्ययक के आर्थिक वर्गीकरण में दिखाया गया पूंजीगत व्यय (लेखा–3, मद-3)	220341	208468	211178

अध्याय–4

कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष

4.1––गत पृष्ठों में वर्णित लेखाओं में प्रदेश की शेष अर्थ-व्यवस्था की तुलना में राज्य सरकार के लेन-देनों के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण किया गया है । इस विश्लेषण से जिन महत्वपूर्ण निष्कर्षों का पता चलता है उनमें से कुछ निम्नलिखित से सम्बन्धित हैं :––

(क) राज्य सरकार का कुल व्यय तथा अन्तिम परिव्यय,
(ख) आय-व्ययक सम्बन्धी साधनों में से पूंजी निर्माण और शुद्ध पूंजी निर्माण,
(ग) राज्य सरकार की बचत,
(घ) राज्य सरकार के आय-व्ययक सम्बन्धी लेन-देनों में होने वाले घाटे की विभिन्न स्तर,
(ङ) राज्य सरकार द्वारा आय सृजन

(क)––(1) कुल व्यय––

4.1.1––1992–93 के आय-व्ययक में विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के कार्य चालित व्ययों को छोड़कर राज्य सरकार का अनुमानित कुल व्यय 12519.38 करोड़ रुपये है । यह व्यय 1991–92 के पुनरीक्षित अनुमानों से 396.90 करोड़ रुपये तथा 1990–91 के वास्तविक खर्च से 1828.62 करोड़ रुपए अधिक है । व्यय के मुख्य मदों के अनुसार वितरण नीचे सारणी में दिया गया है :––

सारणी––4.1

(लाख रुपयों में)

व्यय की मदें	वास्तविक 1990–91	पुनरीक्षित अनुमान 1991–92	आय-व्ययक अनुमान 1992–93
1	2	3	4
1–अन्तिम परिव्यय ..	484782	468494	506649
(क) राजकीय खपत सम्बन्धी व्यय (देखिए लेखा-1, मद-1)	310923	305621	333933
(ख) सकल पूंजी निर्माण (देखिए लेखा-3, मद-1) ..	173859	162873	172716
2–राज्य के शेष अर्थ-व्यवस्था में अन्तरण अदायगियां– ..	500784	583117	630551
(क) चालू अन्तरण (देखिए लेखा-1, मद-2) ..	454302	537522	592089
(ख) पूंजी अन्तरण (देखिए लेखा-3, मद-2) ..	46482	45595	38462
3–राज्य की शेष अर्थ-व्यवस्था में वित्तीय निवेश और ऋण (शुद्ध) (देखिए लेखा-4, मद-5)	83510	160637	114738
4– कुल व्यय (1+2+3)	1069076	1212248	1251938

(क) (2) अन्तिम परिव्यय––

4.1.2––1992–93 के लिए आय-व्ययक में 12519.38 करोड़ रुपये के अनुमानित कुल व्यय में से 5066.49 करोड़ रुपया या कुल व्यय का 40.5 प्रतिशत सरकार का अन्तिम परिव्यय है । 1991–92 के पुनरीक्षित अनुमान एवं 1990–91 के वास्तविक अन्तिम परिव्यय क्रमश: 4684.94 करोड़ रुपये एवं 4847.82 करोड़ रुपये है जो कुल व्यय अर्थात् 12122.48 करोड़ रुपये एवं 10690.76 करोड़ रुपये का क्रमश: 38.6 एवं 45.3 प्रतिशत है । यह परिव्यय खपत और पूंजी निर्माण के लिए राज्य सरकार की वस्तुओं और सेवाओं की प्रत्यक्ष मांग को इंगित करते हैं । वर्ष 1992–93 में कुल व्यय का शेष भाग 7452.89 करोड़ रुपये या 59.5 प्रतिशत अंश अन्तरण अदायगियां, वित्तीय निवेशों एवं ऋणों के रूप में शेष अर्थ-व्यवस्था को प्रदान करने के लिए अनुमानित है जो कि अन्य खण्डों से उनके चालू अथवा पूंजीगत प्राप्तियों को अनपूरित करने के लिए है । कुल व्यय का शेष भाग वर्ष 1991–92 (पुनरीक्षित अनुमान) और 1990–91 (वास्तविक) के लिए क्रमश: 7437.54 करोड़ रुपये तथा 5842.94 करोड़ रुपये तथा तत्सम्बन्धी प्रतिशत क्रमश: 61.4 एवं 54.7 है ।

(1) सकल पूंजी निर्माण–

4.1.3–1992–93 में राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कुल पूंजी निर्माण की धनराशि 1727.16 करोड़ रुपये आंकी गई है, जो इस वर्ष के अन्तिम परिव्यय के कुल 5066.49 करोड़ रुपये का 34.1 प्रतिशत है। यह राशि वर्ष 1991–92 के पुनरीक्षित अनुमानों से 98.43 करोड़ रुपये अधिक एवं 1990–91 के वास्तविक व्यय से 11.43 करोड़ रुपये कम है।

(ख) (2) शुद्ध पूंजी निर्माण––

4.1.4–1992–93 में राज्य सरकार द्वारा शुद्ध पूंजी निर्माण अर्थात् स्थिर परिसम्पत्तियों तथा तालिकागत सामानों के भण्डार में वृद्धि 1689.80 करोड़ रुपये होने का प्राविधान है। वर्ष 1991–92 के पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार 1586.15 करोड़ रुपये तथा 1990–91 के वास्तविक व्यय पर आधारित 1714.33 करोड़ रुपये थे। शुद्ध पूंजी निर्माण के विभिन्न वर्गों का विवरण नीचे की सारणी में दिया गया है––

सारणी––4.2

(लाख रुपयों में)

पूंजी निर्माण की मदें	वास्तविक 1990–91	पुनरीक्षित अनुमान 1991–92	आय-व्ययक अनुमान 1992–93
1	2	3	4
1–भवन तथा अन्य निर्माण-कार्य [देखिए लेखा–3, मद-1.1-क (1) + ख (1) तथा 1.4–क (1) +ख(1)]	151644	150373	165070
2–मशीन और उपकरण (देखिए लेखा–3, मद 1.2(1), व 1.5(1)]	6035	9479	6649
3–तालिकागत सामान में वृद्धि (देखिए लेखा–3, मद 1.3 व 1.6)	13754	(–)1237	(–)2739
4–शुद्ध पूंजी निर्माण (1+2+3)	171433	158615	168980

(ख) (3) शुद्ध पूंजी निर्माण के लिये वित्तीय सहायता––

4.1.5–राज्य सरकार द्वारा किए गए शुद्ध पूंजी निर्माण के अतिरिक्त राज्य की शेष अर्थ-व्यवस्था में शुद्ध पूंजी निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा 1992–93 के लिए 1490.19 करोड़ रुपये का प्राविधान है। यह सहायता 1991–92 के लिए 2045.74 करोड़ रुपये (पुनरीक्षित अनुमान) तथा 1990–91 के लिए 1565.24 करोड़ रुपये (वास्तविक) थी। ऐसी सहायता के विभिन्न वर्गों का विवरण नीचे दिया गया है––

सारणी––4.3

(लाख रुपयों में)

सहायता की मदें	वास्तविक 1990–91	पुनरीक्षित अनुमान 1991–92	आय-व्ययक अनुमान 1992–93
1	2	3	4
1–पूंजी निर्माण के लिए अनुदान (देखिए लेखा–3, मद-2.1 व 2.2)	46650	45594	38461
2–पूंजी निर्माण के लिए ऋण (देखिए लेखा–4, मद–2.1) ..	92535	145456	94335
3–निवेश (इन्वेस्टमेन्ट) (देखिए लेखा–4, मद–1) ..	17339	13524	16223
4–शुद्ध पूंजी निर्माण के लिए कुल वित्तीय सहायता (1+2+3)..	156524	204574	149019

(ख) (4) राज्य सरकार के आय-व्ययक सम्बन्धी साधनों से शुद्ध पूंजी निर्माण––

4.1.6–पूर्व प्रस्तरों से स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा अपने आय-व्ययक सम्बन्धी साधनों से शुद्ध पूंजी निर्माण के लिए वर्ष 1992–93 में कुल मिलाकर 3179.99 करोड़ रुपये की व्यवस्था अनुमानित है। यह व्यवस्था 1991–92 के लिए 3631.89 करोड़ रुपये (पुनरीक्षित अनुमान) तथा 1990–91 के लिए 3279.57 करोड़ रुपये (वास्तविक रकम) थी।

ये राशियां 12519.38 करोड़ रुपये; 12122.48 करोड़ रुपये और 10690.76 करोड़ रुपये के कुल व्ययों की क्रमश: 25.4 प्रतिशत, 30.0 प्रतिशत तथा 30.7 प्रतिशत है। इसकी संरचना नीचे तालिका में दिखाई गई है :--

सारणी--4.4

(लाख रुपयों में)

शुद्ध पूंजी निर्माण के लिए आय-व्ययक सम्बन्धी संसाधन	वास्तविक 1990-91	पुनरीक्षित अनुमान 1991-92	आय-व्ययक अनुमान 1992-93
1	2	3	4
1--राज्य सरकार द्वारा शुद्ध पूंजी निर्माण (सारणी 4.2, मद-4) ..	171433	158615	168980
2--शेष अर्थ-व्यवस्था में शुद्ध पूंजी निर्माण के लिए वित्तीय सहायता .. (सारणी 4.3, मद-4)	156524	204574	149019
3--आय-व्ययक सम्बन्धी संसाधनों द्वारा शुद्ध पूंजी निर्माण (1+2) ..	327957	363189	317999

(ग) राज्य सरकार की बचत--

4.1.7--राज्य सरकार द्वारा 1992-93 में राजकीय शुद्ध घाटा 695.45 करोड़ रुपये अनुमानित है। 1991-92 के पुनरीक्षित अनुमानों में शुद्ध घाटा 492.12 करोड़ रुपये तथा 1990-91 में वास्तविक शुद्ध घाटा 624.57 करोड़ रुपये था जैसा कि निम्न सारणी में दिखाया गया है :--

सारणी--4.5

(लाख रुपयों में)

बचत	वास्तविक 1990-91	पुनरीक्षित अनुमान 1991-92	आय-व्ययक अनुमान 1992-93
1	2	3	4
1--चालू खाते की बचत (देखिए लेखा-3, मद-4.1)	(-)63260	(-)48471	(-)69537
2--अवमूल्यन के लिए व्यवस्था (देखिए लेखा-3, मद-4.2)	3229	3517	3728
3--ग्रहीत लाभ (देखिए लेखा-3, मद-4.3)	-	-	
4--राज्य सरकार की कुल बचत (1+2+3)	(-)60031	(-)44954	(-)65809
5--नवीकरण तथा प्रतिस्थापन पर व्यय (देखिए लेखा-3)	2426	4258	3736
6--राज्य सरकार की शुद्ध बचत (4-5)	(-)62457	(-)49212	(-)69545

(घ) चालू प्राप्तियां (करेन्ट रिसीट्स)--

4.1.8--1992-93 के लिए चालू प्राप्तियों के आय-व्ययक अनुमान 8564.85 करोड़ रुपये है। वर्ष 1991-92 के लिए पुनरीक्षित अनुमान 7946.72 करोड़ रुपये एवं वर्ष 1990-91 की वास्तविक प्राप्तियां 7019.65 करोड़ रुपये थी। इन चालू प्राप्तियों की आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत रखा जा सकता है :--

सारणी--4.6

(लाख रुपयों में)

चालू प्राप्तियां	वास्तविक 1990-91	पुनरीक्षित अनुमान 1991-92	आय-व्ययक अनुमान 1992-93
1	2	3	4
1--करों से प्राप्तियां (देखिए लेखा-1, मद-5)	545984	610799	660260
2--उद्यमों एवं सम्पत्तियों से आय (देखिए लेखा-1, मद-6)	10349	10664	10198
3--परिवारों से अन्तरण (देखिए लेखा-1, मद-7)	16694	39765	50841
4--राजस्व अनुदान अंशदान एवं शेष अर्थ-व्यवस्था से वसूलियां (देखिए लेखा-1, मद-8)	128938	133444	135186
5--चालू प्राप्तियां (1+2+3+4)	701965	794672	856485

(ङ) चालू खर्च (करेन्ट आउट गोइंग)–

4.1.9–ऊपर दिखाई गई चालू प्राप्तियों के परिणाम की अपेक्षा 1992–93 के लिए आय-व्ययक में कुल 9260.22 करोड़ रुपय के चालू खर्चों की व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था 1991–92 के लिए 8431.43 करोड़ रुपये (पुनरीक्षित अनुमान) एवं 1990–91 के लिए 7652.25 करोड़ रुपये (वास्तविक व्यय) की थी जसा कि निम्न सारणी से स्पष्ट है :–

सारणी–4.7

(लाख रुपयों में)

चालू व्यय		वास्तविक 1990–91	पुनरीक्षित अनुमान 1991–92	आय-व्ययक अनुमान 1992–93
1		2	3	4
1–खपत सम्बन्धी व्यय (देखिए लेखा-1, मद-1)	..	310923	305621	333933
2–अन्तरण अदायगियां (देखिए लेखा–1, मद-2)	..	454302	537522	592089
3–चालू खर्च (1+2)	..	765225	843143	926022

(च) (1) आमदनी में घाटा (इन्कम डिफिसिट)––

4.1.10–शुद्ध बचत की अपेक्षा शुद्ध निवेश की अधिकता राज्य सरकार की आय में घाटे को प्रदर्शित करते हैं, जिसका विवरण नीचे की सारणी में दिया गया है :––

सारणी–4.8

(लाख रुपयों में)

शुद्ध निवेश एवं बचत		वास्तविक 1990–91	पुनरीक्षित अनुमान 1991–92	आय-व्ययक अनुमान 1992–93
1		2	3	4
1–राज्य सरकार के पूंजी निर्माण में शुद्ध निवेश (सारणी 4.2, मद-4)		171433	158615	168980
2–राज्य सरकार की शुद्ध बचत (सारणी 4.5, मद-6)	..	(–) 62457	(–) 49212	(–) 69545
3–राज्य सरकार की आय में घाटा (1-2)	..	233890	207827	238525

उपर्युक्त घाटा उस अन्तर को प्रकट करता है जो शुद्ध पूंजी अन्तरण के समायोजन पर्यन्त राज्य सरकार को राज्य में लिए जाने वाले वास्तविक ऋणों तथा वाह्य ऋणों से पूरा करना पड़ता है।

(च) (2) राज्य सरकार की वित्तीय आवश्यकताएं––

4.1.11–उपर्युक्त घाटों में शुद्ध पूंजी अन्तरणों के समायोजन के उपरान्त राज्य सरकार के वित्तीय परिसम्पत्तियों में लेन-देनों से उत्पन्न घाटे को जोड़ देने से प्राप्त योग सरकार की कुल वित्तीय आवश्यकता को प्रकट करती है। जो लेखा-3 एवं लेखा–4 में दिखाई गई सन्तुलनकारी मदों के योग से भी प्राप्त होता है। 1992–93 के लिए यह घाटा 3067.34 करोड़ रुपये है जो 1991–92 के पुनरीक्षित अनुमानों से 58.24 करोड़ रुपये कम तथा 1990–91 के वास्तविक घाटे से 250.23 करोड़ रुपये अधिक है, जैसा कि निम्न सारणी से प्रकट है :––

सारणी–4.9

(लाख रुपयों में)

मद		वास्तविक 1990–91	पुनरीक्षित अनुमान 1991–92	आय-व्ययक अनुमान 1992–93
1		2	3	4
1–राज्य सरकार की आय में घाटा (देखिए सारणी 4.8, मद-3)	..	233890	207827	238525
2–शुद्ध पूंजी अन्तरण (लेखा-3, मद-5–मद-2)	..	35689	55906	46529
3–वस्तुओं और सेवाओं के सभी लेन-देन और अन्तरणों पर घाटा (1–2) (देखिए लेखा-3, मद-6)		198201	151921	191996
4–वित्तीय परिसम्पत्ति (एसेट्स) में शुद्ध वृद्धि (देखिए लेखा-4, मद-5)		83510	160637	114738
5–घाटा जो कुल वित्तीय आवश्यकता को प्रकट करता है (3+4)	..	281711	312558	306734

(छ) (1) वित्त व्यवस्था के स्रोत–

4.1.12–उपरोक्त घाटे को पूरा करने की वित्तीय व्यवस्था नीचे दी गई सारणी में दिखाई गई है––

सारणी––4.10

(लाख रुपयों में)

मद	वास्तविक 1990–91	पुनरीक्षित अनुमान 1991–92	आय-व्ययक अनुमान 1992–93
1	2	3	4
1–शुद्ध ऋण (नेट बारोइंग)– ..	278388	306354	317350
1.1–स्थाई ऋण (शुद्ध) (परमानेन्ट डेट) ..	47539	57392	57063
1.2–केन्द्रीय सरकार से लिये गए ऋण (शुद्ध) ..	154630	180975	209199
1.3–अनिधिबद्ध ऋण (शुद्ध) (अनफण्डेड डेट) ..	45618	30143	30655
1.4–अन्य ऋण (शुद्ध) (अदर डेट्स) ..	6278	(–)3017	(–)2323
1.5–अन्य ऋण, निक्षेप एवं विप्रेषण (शुद्ध) (अदर डेट्स डिपाजिट्स रेमिटेन्सेज)	24313	40861	22756
1.6–अन्तर्राज्यीय उचन्त लेखा (शुद्ध) ..	10	–	..
2––घाटे की वित्तीय व्यवस्था (डिफिसिट फाइनेन्सिंग) ..	3323	6204	(–)10616
2.1–अल्पकालीन ऋण में वृद्धि (शुद्ध) (इन्क्रीज इनफ्लोटिंग डेट	4566	–	–
2.2–रोकड़ बाकी से निकास (विद्ड्राल) ..	(–)1243	6204	(–)10616
3–योग (1+2) (देखिए सारिणी 4.9, मद–5) ..	281711	312558	306734

मद–2 के अन्तर्गत दी गई घाटे की वित्तीय व्यवस्था राज्य सरकार से आय-व्ययक सम्बन्धी लेन-देने का मुद्रा पूर्ति पर विस्तारक प्रभाव को केवल आंशिक रूप से प्रकट करती है।

(छ) (2) वित्तीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का शुद्ध लाभ–

4.1.13–1992–93 में सभी विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का शुद्ध लाभ 44.77 करोड़ रुपये अनुमानित किया गया है। 1991–92 के लिए पुनरीक्षित अनुमान 44.98 करोड़ रुपये आंका गया है। 1990–91 में वास्तविक लाभ 31.40 करोड़ रुपये था। इन परिणामों से प्रतिष्ठानों की कार्य-प्रणाली पर वित्तीय परिणामों का पता चलता है। इसकी नाप कार्य-चालित व्ययों की अपेक्षा कुल प्राप्तियों के अतिरेक द्वारा की जाती है। इनका अन्तरण राजकीय प्रशासन को कर दिया जाता है और उनके बचत में जोड़ दिया जाता है। शुद्ध लाभ की व्युत्पत्ति नीचे दिखाई गई है :––

सारणी–4.11

(लाख रुपयों में)

मद	वास्तविक 1990–91	पुनरीक्षित अनुमान 1991–92	आय-व्ययक अनुमान 1992–93
1	2	3	4
1–कुल प्राप्तियां .. .. (देखिए लेखा-2, मद-12)	73172	85629	92890
2–कार्य चालक व्यय (आपरेटिंग एक्सपेन्सेज (देखिए लेखा-2, मद-1 से 7)	70032	81131	88413
3. शुद्ध लाभ (1–2)	3140	4498	4477

(ण) राज्य आय में अंशदान–

4.1.14–राज्य सरकार की आय-व्ययक सम्बन्धी कार्यवाहियों से 1992–93 में कुल 4037.16 करोड़ रुपये की आय होने का अनुमान किया गया है। यह आय 1991–92 में 3523.48 करोड़ रुपये (पुनरीक्षित अनुमान) तथा 1990–91 के लिये 3507.96 करोड़ रुपये थी। राज्य सरकार द्वारा उद्ग्रहित कुल आय का विवरण नीचे की सारणी में दिया गया है :–

सारणी–4.12

(लाख रुपयों में)

आमदनी विवरण	वास्तविक 1990–91	पुनरीक्षित अनुमान 1991–92	आय-व्ययक अनुमान 1992–93
1	2	3	4
1–सरकारी प्रशासन द्वारा दी गई मजदूरी और वेतन ..	222300	217385	257978
2–विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का शुद्ध उत्पादन ..	58563	65831	68850
(अ) मजदूरी और वेतन (मरम्मत और अनुरक्षण कार्यों के मजदूरी सम्बन्धी 50 प्रतिशत भाग सहित)	28800	25837	26250
(ब) ब्याज	24620	33284	36003
(स) लाभ (प्रशासन को अन्तरित और रखे गये लाभ तथा नवीनीकरण और प्रतिस्थापन की अपेक्षा अवमूल्यन व्यवस्था का अतिरेक शामिल है)	5143	6710	6597
3–निर्माण-कार्यों पर होने वाले राजकीय परिव्यय का मजदूरी और वेतन सम्बन्धी भाग [लेखा-3 की मद 1.1-क (1) व 1.4-क (1) का एक-तिहाई भाग तथा 1.1 (ख) (1) व 1.4-ख (1) का आधा भाग]	69933	69132	76888
योग (1+2+3)	350796	352348	403716

अध्याय–5

लेखाओं पर टिप्पणियां

लेखा–1

वस्तुओं और सेवाओं के लेन-देन और अन्तरण–सरकारी प्रशासन का चालू खाता

5.1–इस लेखा में राजकीय प्रशासकीय विभागों का चालू राजस्व और व्यय दर्शाये गये हैं। लेखा-2 के अन्तर्गत सम्मिलित विभागों के अतिरिक्त अन्य सभी विभाग आर्थिक वर्गीकरण हेतु प्रशासकीय माने गये हैं। प्रशासकीय विभागों के चालू व्यय को राजकीय चालू खाते में अन्तिम परिव्यय के रूप में दिखलाया गया है जो कि राजकीय चालू खपत को दिखलाता है। प्रशासन के चालू व्यय में (1) अन्तिम परिव्यय और (2) अन्तरण अदायगियां (ट्रान्सफर पेमेन्ट) सम्मिलित है। अन्तरण अदायगियों द्वारा सरकार शेष अर्थ-व्यवस्था की निस्तारण योग्य आय "डिसपोजिबिल इनकम" को अप्रत्यक्ष रूप से वृद्धि करती है। इन सम्पूर्ण व्ययों की पूर्ति करने के लिए विभिन्न करों, प्रकीर्ण प्राप्तियों, ऋणों, अनुदानों और केन्द्रीय सरकार से वसूलियों इत्यादि से होने वाली सामुदायिक आय के एक भाग के अतिरिक्त विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लाभों का सरकार विनियोग करती है। खपत सम्बन्धी व्यय और चालू अन्तरण को पूरा करने के उपरान्त राजस्व का अधिशेष पूंजी निर्माण के लिए प्राप्त होने वाली सरकारी प्रशासन की बचत का द्योतक है।

मद 1.1 (क)––"मजदूरी और वेतन" में अधिकारियों के वेतन, अधिष्ठान का वेतन, उनके भत्ते (यात्रा एवं दैनिक भत्तों के अतिरिक्त) व मानदेय सम्मिलित है। भत्तों और मानदेयों में महंगाई भत्ता, मानदेय, प्रतिकर भत्ता, मकान किराया सम्बन्धी भत्ता, सवारी भत्ता और वर्दी भत्ता भी शामिल है। जहां यात्रा भत्ता और अन्य भत्ते एक मुश्त दिये गये हैं वहां उनको दो सम्भागों में विभाजित कर दिया गया है। पूंजी निर्माणगत परियोजनाओं में कार्यरत कर्मचारियों की मजदूरी और वेतन तथा पेंशन को निर्माण की लागत मानकर लेखा-3 के अन्तर्गत दिखाया गया है।

मद 1.1 (ख)––"पेंशन" के अन्तर्गत अधिवर्ष तथा सेवा निवृत्ति भत्ते, अनुकम्पा भत्ते तथा पारिवारिक पेंशन तथा पेंशनों की राशि मूल्य आदि सम्मिलित है।

मद 1.2––"वस्तुओं और सेवाओं" में राजकीय प्रशासन द्वारा वस्तुओं और सेवाओं जैसे–लेखन-सामग्री और मुद्रण व्यय, टेलीफोन सम्बन्धी व्यय, विद्युत एवं जल सम्बन्धी व्यय, वर्दी सम्बन्धी व्यय, यात्रा एवं दैनिक भत्ते, मनोरंजन सम्बन्धी व्यय, चिकित्सा एवं आहार सम्बन्धी व्यय, पुस्तकें एवं सामयिक पत्रिकाएं, अन्य सरकारों को दिया गया अधिष्ठान सम्बन्धी व्यय, कच्चा माल और वाहनों का परिचालन व्यय सम्बन्धी क्रय, मरम्मत और अनुरक्षण सम्बन्धी व्यय, प्रासंगिक व्यय शीर्षक के अन्तर्गत आकस्मिक श्रमिकों को मजदूरियों की अदायगी सम्मिलित है। राजकीय मुद्रणालय की हानियों का अभ्यारोपित मूल्य प्रशासन की खपत सम्बन्धी व्यय मान कर इस मद में शामिल कर लिया गया है। निर्माणगत परियोजनाओं पर किया गया "वस्तुओं और सेवाओं" का अंश निर्माण की लागत मानकर लेखा-3 के अन्तर्गत दिखाया गया है। वस्तुओं एवं सेवाओं के विक्रय से प्राप्तियों को व्यय में से घटा दिया गया है।

मद 2––"अन्तरण अदायगियां"––आर्थिक दृष्टिकोण से सरकार के व्यय तीन प्रकार के होते हैं––1–खपत सम्बन्धी व्यय 2-पूंजीगत व्यय, 3–शेष अर्थ-व्यवस्था में अन्तरण (वर्गीकरण के पूंजीगत खाते में कुछ अन्तरण पूंजी निर्माण का स्वरूप लेते हैं इसलिए आर्थिक वर्गीकरण के अन्तर्गत चालू अन्तरण को पूंजीगत अन्तरण से भिन्न माना गया।) चालू अन्तरण को निम्न भागों में बांटा गया है––ब्याज का भुगतान, स्थानीय निकायों, सहकारी संस्थाओं, शिक्षा संस्थाओं तथा अन्य संस्थाओं को अनुदान, राज सहायता एवं व्यक्तिगत रूप से अन्य चालू अन्तरण जो प्राप्तकर्ता की व्यक्तिगत आय बढ़ाते हैं। कभी-कभी सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज का भुगतान सरकार के चालू राजस्व से घटा दिया जाता है परन्तु यहां पर भुगतान घटाए नहीं गए हैं।

मद 2.1––"ब्याज" सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज तथा लेखा-2 मद 5 में दिखलाए गए वाणिज्यिक ऋण पर ब्याज के अतिरिक्त अन्य ब्याज के अन्तर्गत भुगतान आते हैं। रोकड़ शेष के विनियोजन पर ब्याज कुल ब्याज से घटा दिया गया है क्योंकि यह अन्तर विभागीय अथवा अन्तर खाते में अन्तरण है जो कि आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है।

मद 2.2––"अनुदान" को चार वर्गों में विभक्त किया गया है तथा––(1) स्थानीय निकायों को, (2) सरकारी संस्थाओं को, (3) शिक्षा संस्थाओं को तथा (4) अन्य संस्थाओं को। "अन्य संस्थाओं" के अन्तर्गत उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं को तथा अलाभकारी संस्थाओं को दिए गए अनुदान आते हैं।

मद 2.3––"राज सहायता"––चालू खाते पर सभी अनुदानों को सम्मिलित करता है जो निजी उद्योग सरकार से प्राप्त करते हैं उनका रूप या तो उत्पादकों को सीधे भुगतान के रूप में होता है या सरकारी वाणिज्यिक उपक्रमों या क्रय और विक्रय के मूल्य में अन्तर के रूप में होता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में राज सहायता उन अनुदानों को सम्मिलित करता है जो सरकार द्वारा सार्वजनिक निगमों को हानियों के क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाता है। सार्वजनिक निगमों के समस्त चालू अन्तरण चाहे वे मूल्य स्तर को बनाए रखने अथवा अन्य उद्देश्यों के लिए हों––"राजसहायता" के अन्तर्गत आते है विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में उन हानियों को जिनकी राज सहायता से पूर्ति नहीं हो सकती है उनको सामान्य राजकीय खाते में ऋणात्मक घाटे के रूप में अन्तरित किया जाता है। बानिकी, उद्योग, सिंचाई तथा दुग्ध सम्पूर्ति के विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों द्वारा उठाई गई हानियों को राज सहायता माना गया है।

मद 2.4--"अन्य चालू अन्तरण"--इस मद में परिवारों के खाते में किये गये भुगतान चालू अन्तरण के अन्तर्गत आते हैं जैसे विशिष्ट तथा प्रशासनीय सेवाओं हेतु पेंशन, राजनैतिक तथा प्रादेशिक पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, पारिवारिक भत्ते, छात्रवृत्तियां, अकाल पीड़ित व्यक्तियों को निःशुल्क सहायता, पुरस्कार, भूतपूर्व शासकों को प्रिवीपर्स आदि आते हैं।

मद 3--"चालू खाते की बचत"--चालू खाते के अन्तर्गत व्यय की अपेक्षा प्राप्तियों का अधिशेष (सरप्लस) है।

मद 5--"कर राजस्व" को दो भागों--(1) "प्रत्यक्ष कर" व (2) "अप्रत्यक्ष कर" में वर्गीकृत किया गया है। "प्रत्यक्ष कर" में केन्द्रीय करों में निगम करों के अतिरिक्त राज्य का भाग, कृषि सम्पत्ति पर कर, भू-राजस्व तथा नगरीय भूमि कर सम्मिलित है। अप्रत्यक्ष कर में उत्पादकों पर उनके द्वारा किए गए उत्पादन पर लगाया गया कर, क्रय-विक्रय अथवा वस्तुओं सेवाओं का उपभोग जो कि उत्पादन के खर्च में सम्मिलित होते हैं, अप्रत्यक्ष कर के अन्तर्गत आते हैं। अप्रत्यक्ष कर के सामान्य उदाहरण निम्न हैं--आयात, निर्यात व उत्पादन शुल्क, बिक्री-कर, मनोरंजन कर, बाजीकर (बेटिंग टेक्सेज), व्यवसाय लाइसेन्स तथा लेन-देन (स्टाम्प) कर तथा भू-संपत्ति एवं भूमिकर।

मद 6--"संपत्ति और उद्यमों से आय"--इस मद में प्रशासन को अन्तरित विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों से लाभ तथा भवनों अथवा अन्य संपत्तियों से प्राप्तियां, ब्याज तथा लाभांश से प्राप्त धनराशि सम्मिलित है।

मद 7--"परिवारों से अन्तरण" इस मद के अन्तर्गत वे भुगतान जो परिवारों और निजी अलाभकारी संस्थाओं द्वारा राज्य सरकार को नियंत्रित तथा सामाजिक सेवाओं के व्यय हेतु मुख्यतः सरकारी एजेन्सीज के द्वारा लिया जाता है। सरकारी एजेन्सी द्वारा नियंत्रित व्यय नियंत्रित कार्यों और उन सेवाओं हेतु जिनके लिए कोई और प्राइवेट क्षेत्र समतुल्य उपलब्ध नहीं है, के सम्बन्ध में है। ऐसी सेवाएं अधिकांश रूप से सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। क्योंकि यह अनिवार्य अधिकार के प्रयोग पर निर्भर करता है। परिवारों द्वारा इस प्रकार व्ययों के उदाहरण जन्म-मृत्यु, विवाह के लिए पंजीकरण फीस, कोर्ट फीस, जुर्माने और दण्ड आदि हैं जो राज्य सरकार के बजट के विभिन्न राजस्व शीर्षकों के अन्तर्गत दिखालाये गये है।

मद 8--"राजस्व अनुदान, अंशदान एवं वसूलियां"--इस मद के अन्तर्गत चालू अन्तरण से प्राप्तियों जो कि संघीय सरकार तथा अन्य संस्थाओं से संगत होती है सम्मिलित की जाती है। अन्तरण जो उत्पादन अथवा खपत को आर्थिक रूप से पोषित करने हेतु उपयोग किए जाते हैं उनको चालू अन्तरण में वर्गीकृत किया गया है।

लेखा--2

वस्तुओं और सेवाओं के लेन-देन और अन्तरण-विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का चालू खाता

5.2--यह लेखा विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के वस्तुओं और सेवाओं के लेन-देन एवं अन्तरणों को प्रकट करता है। ये प्रतिष्ठान मुख्यतः विक्रय हेतु वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में लगे हुए हैं। वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों द्वारा सामान इत्यादि का क्रय अन्तर्वर्ती व्यय (जैसे कच्चा माल एवं ईंधन सम्बन्धी मूल्य इत्यादि) और ये प्रशासकीय विभागों द्वारा किए गए अन्तिम परिव्यय से बिलकुल भिन्न हैं। यह लेखा विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लाभ और हानि के विवरण को प्रकट करता है। इसमें सन्तुलनकारी मद अभिशेष है जिसे लेखा-1 के प्राप्ति पक्ष को अग्रनीत किया जाता है।

आर्थिक वर्गीकरण के उद्देश्यों से निम्नलिखित को विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठान माना गया है--

(1) वन,
(2) सिंचाई,
(3) मुद्रणालय,
(4) उद्योग--
  (क) सूक्ष्म उपयंत्र निर्माणशाला, लखनऊ
  (ख) अन्य
(5) दुग्ध सम्पूर्ति

इन विभागों के वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के व्यय को वेतन एवं मजदूरी, पेंशन, वस्तुओं और सेवाओं, किराया, मरम्मत और अनुरक्षण, ब्याज, अवमूल्यन के लिए व्यवस्था तथा ग्रहीत लाभ में वर्गीकृत किया गया है। शेष जो इन प्रतिष्ठानों का लाभ है--राजकीय प्रशासन को वित्तीय प्रबंध हेतु अन्तरित कर दिया जाता है। यहां यह उल्लेखनीय है कि इन प्रतिष्ठानों के लेन देन के सभी पहलुओं का परावर्तन प्रस्तुत लेखाओं में नहीं होता। आय-व्ययक में लेखा पालन का रूप वित्तीय वर्ष की अवधि में मुख्यतः वास्तविक रोकड़ प्राप्तियां तथा संवितरण प्रदर्शित करता है और भण्डारण स्थिति पर प्रकाश नहीं डालता। इसके अतिरिक्त इसमें अर्जित और देय धनराशियों का भी संकेत नहीं रहता है। इस प्रकार रोकड़ाधार पद्धति (कैश बेसिस सिस्टम) राजकीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का समस्त चित्रण करने में पूर्णतः समर्थ नहीं है। इसलिए इसका वास्तविक परावर्तन आय-व्ययक में तथा उसके फलस्वरूप आर्थिक वर्गीकरण में नहीं हो पाता।

लेखा–3

वस्तुओं और सेवाओं के लेन-देन और अन्तरण–सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का पूंजी खाता

5.3––यह लेखा शेष अर्थ व्यवस्था में निजी निर्माण सहित सरकारी प्रशासन तथा विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों द्वारा वस्तुगत परिसम्पतियों (फिजिकल एसेट्स) के निर्माण को व्यक्त करने वाले कुल पूंजी परिव्यय से संबंधित है। पूंजी निर्माण पर संपूर्ण परिव्यय राष्ट्रीय उत्पत्ति पर एक भार है जिसको वहन करने के लिए सरकार को साधनों की खोज अपनी बचत अथवा निजी बचतों से आहरण द्वारा करनी पड़ती है। इनमें संतुलनकारी मद घाटा प्रकट करती है जिसको ऋण लेकर अथवा रोकड़ बाकी के उत्सारण से पूरा करना होता है।

मद 1––"सकल पूंजी निर्माण"––सरकारी प्रशासन तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के अन्तर्गत दो मागों में विभक्त किया गया है :––

(1) भवन तथा अन्य निर्माण कार्य

(2) मशीन एवं उपकरण

प्रत्येक विभाग को निम्न उपवर्गों में वर्गीकृत किया गया है––

(क) नया परिव्यय

(ख) नवीकरण एवं प्रतिस्थापन

मद 1.1 (क) व 1.4 (क)––इन मदों में भवन निर्माण कार्यों, आवास कार्यालयों तथा अन्य प्रयोजनों के लिए भवनों के मूल निर्माण–कार्य दिखलाये गये हैं।

1.1 (ख) व 1.4 (ख)––इन मदों के अन्तर्गत परिवर्तन एवं संचार विद्युत शक्ति एवं सिचाई, बांध एवं जल निकास, जलपूर्ति एवं सफाई, भूमि सुधार एवं वृक्षारोपड़ के लिये अन्य निर्माण–कार्यों पर संपूर्ण व्यय सम्मिलित है।

पूंजी निर्माणगत परियोजनाओं में कार्यरत कर्मचारियों को प्रदत्त मजदूरी और वेतन एवं इस प्रकार की परियोजना के संबंध में वस्तुओं और सेवाओं पर किया गया व्यय निर्माण की लागत का ही अश मान कर तदनुसार लेखा–3 के अन्तर्गत दिखाया गया है व्यय भवन अथवा अन्य निर्माण कार्यों के अनुपात में बाट दिये गये हैं।

मद 1.2 व 1.5––"मशीने और उपकरणों" में मशीनों एवं उपकरण, उपस्कर एवं निरोप (फर्नीचर एण्ड फिक्सचर) व साधित्र (अप्लरेट्स) औजार एव संयंत्र (टूल्स एण्ड प्लान्ट्स) और वाहन समाविष्ट है।

मद 1.3 व 1.6––"तालिकागत समान में वृद्धि (इनक्रीज इन–इनवेन्ट्रीज)"––(1) निर्माण सम्बधी सामान और (2) अन्न, उर्वरकों इत्यादि मण्डारों की शुद्ध वृद्धि अथवा ह्रास दिखाया गया है।

मद 2––"पूंजी अन्तरण" में स्थानीय निकायों तथा ओरों को पूंजी निर्माण के लिये अनुदान उदाहरणार्थ पुनांग्रहीत भूमि यों (रिज्यूम्ड लण्ड्स) के बदले में पेंशन, वक्फी तथा न्यासी (ट्रस्ट) को देय वार्षिक वृत्तियां, अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के आधीन प्रतिकर इत्यादि सम्मिलित है।

मद 4 व 5––"पूंजी निर्माण" हेतु उपलब्ध प्राप्तियों में लेखा –1 व 2 से अग्रनीत चालू खाते पर कुल बचत, सम्पदा शुल्क, जायदादों की बिक्री तथा केन्द्रीय सरकार से पूंजीगत अनुदान एवं वसूलियां सम्मिलित है। सम्पदा शुल्क को इस धारणा पिर क यह पूंजी देय है, इस लेखा में शामिल किया गया है।

लेखा–4

वित्तीय परिसंपत्ति से परिवर्तन

सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का पूंजी खाता

5.4––यह लेखा राजकीय वित्तीय परिसंपत्तियों में वास्तविक परिवर्तन प्रकट करता है। इसमें औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में वित्तीय निवेशों का लेन-देन (अर्थात् शेयरों में लगाई गयी पूंजी) और शेष अर्थ व्यवस्था के लिय स्वीकृत ऋण एवं अग्रिम धनराशि सम्मिलित है। पूंजी निर्माण के लिये ऋण राज्य सरकार द्वारा शेष अर्थ-व्यवस्था में पूंजी निर्माण की प्रोन्नति क लिये प्रयासों का द्योतक है। खाते में सन्तुलनकारी मद घाटा है जिसकी लेखा–3 में घाटे में जोड़ने से सरकार की कुल वित्तीय आवश्यकता ज्ञात होती है। इसकी पूर्ति ऋण लेकर अथवा राजकीय रोकड़ बाकी में समायोजन द्वारा होता है।

मद 1––"निवेशों में" राजकीय तथा निजी वाणिज्यिक उपक्रमों और वस्तुगत एवं परिसम्पत्तियों में लगाई गई धनराशि आती है।

मद 2.1--"पूंजी निर्माण के लिय ऋण एवं अग्रिमों" से पूंजीगत परिसम्पत्तियों जैसे सिंचाई सुविधाओं का निर्माण, औद्योगिक गृह निर्माण योजनाओं, जल कलों इत्यादि के लिये ऋण एवं अग्रिम शामिल है ।

मद 2.2--"अन्य प्रयोजनों हेतु ऋणों" में चालू खपत के लिये कृषक को ऋण, मकानों की मरम्मत के लिये ऋण, छात्रों को ऋण, सवारियों के क्रय हेतु अग्रिम तथा ऋण सम्मिलित है ।

लेखा--5

वित्तीय दायित्वों में परिवर्तन

सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का पूंजी खाता

5.5--यह लेखा राजकीय दायित्वों को चित्रित करता है । आमदनी द्वारा वित्तीय दायित्वों में वृद्धि तथा खर्च से दायित्वों में कमी का ज्ञान होता है । खर्च के ऊपर आमदनी का अतिरेक, वित्तीय दायित्वों में शुद्ध वृद्धि को प्रदर्शित करता है । यह वृद्धि भौतिक तथा वित्तीय परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु अतिरिक्त व्यय के कारण होती है । लेखा--3 व 4 से उत्पन्न घाटे की वित्तीय व्यवस्था सरकार द्वारा ओढ़े गये दायित्वों में परिवर्तन करने तथा रोकड़ बाकी यदि कोई हो, के उपयोग से भी की जाती है ।

इन बातों की पूर्ति विभिन्न विभागीय निधियों (फण्डस) एवं निक्षेपों (डिपाजिट्स) से तथा शेष अर्थ-व्यवस्था से खींच कर की जाती है ।

इस लेखा में स्थायी ऋणों, केन्द्रीय सरकार से ऋणों तथा अन्य ऋणों के कुल रूप में अल्पकालिक ऋण (फ्लोटिंग डेट्स), अनिधिबद्ध ऋण (अनफण्डेड डेट्स), अन्य निक्षेपों, ऋणों और विवेषित राशियों (रेमीटेन्सेज) को शुद्ध रूप में दिखाया जाता है ।

लेखा--6

सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का रोकड़ एवं पूंजी समाधान खाता

5.6--यह लेखा राज्य सरकार के सभी लेन-देनों का उनके रोकड़ स्थित पर पड़ने वाले प्रभाव को प्रकट करते हुये लेखा--3, 4 व 5 के संबंध में वस्तुस्थिति का संक्षेपण करता है । लेखा--3 वस्तुओं और सेवाओं तथा अन्तरणों के सभी (वास्तविक) लेन-देनों के सबंध में यथार्थ स्थिति बताता है तो लेखा 4 व 5 क्रमशः वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं वित्तीय दायित्वों के संबंध में वास्तविक स्थिति को प्रकट करते हैं ।

भाग–2

कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण

अध्याय–6

(I) आर्थिक एवं कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण

6.1–इस अध्याय में आर्थिक दृष्टिकोण एवं कार्य के आधार पर राज्य सरकार के व्ययों को दो विभिन्न वर्गीकरणों को एक ही अन्त:: वर्गीकरण आर्थिक एवं कार्य सम्बन्धी में संयुक्त कर प्रस्तुत किया गया है । यह संयुक्त वर्गीकरण बताता है कि किस प्रकार किसी विशेष प्रयोजन–जैसे कृषि के लिए व्यय की आर्थिक वर्गों अर्थात् वस्तुओं और सेवाओं पर चालू व्यय, पूंजी निर्माण तथा विभिन्न प्रकार के अन्तरणों और ऋणों में विभाजित किया जा सकता है । इससे यह भी स्पष्ट होता है कि किस प्रकार किसी विशेष आर्थिक वर्ग जैसे पूंजी निर्माण के लिए व्यय की विभिन्न प्रयोजनों अथवा सरकार द्वारा व्यवस्थित सेवाओं के अनुसार वितरित किया गया है । राजकीय आय-व्ययक सम्बन्धी व्ययों का ऐसा अन्त:वर्गीकरण कई वर्षों की अवधि के कार्यक्रम को चित्रित करने तथा वास्तविक व्यय की प्रगति का मूल्यांकन करने के दृष्टिकोण से अत्यन्त महत्वपूर्ण है । अर्थ-व्यवस्था के सम्पूर्ण राजकीय खण्ड पर लागू करने से आर्थिक एवं कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण की सूचनात्मक उपयोगिता पर्याप्त रूप से बढ़ जाती है ।

(II) कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण के सिद्धान्त

6.2–लेखापालन के उद्देश्य से धनराशि को खर्च करते समय व्यय के तात्कालिक मद जैसे मजदूरी और वेतन, वस्तुयें और सेवाएं, अन्य निकायों को अनुदान, ऋण इत्यादि के अनुसार व्यय को नियत किया जाता है । आर्थिक वर्गीकरण में व्यय के इन प्राथमिक मदों को उसकी आर्थिक प्रकृति के अनुसार वर्गीकृत करता है । इसी प्रकार कार्य के आधार पर वर्गीकरण इन मदों के द्वारा प्रतिपादित विशेष उद्देश्य के अनुसार उसका गठन करता है । कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण का ध्येय तात्कालिक अथवा अल्प–कालिक उद्देश्यों से की गई सेवाओं के अनुसार राजकीय व्यय को प्रकट करता है जो विशेष प्रकार की सेवाओं पर किये गये सार्वजनिक व्यय के सम्बन्ध में जानकारी कराता है ।

6.3–कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण में विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों (कामर्शियल अण्डरटेकिंग्स) के चालू व्यय सम्मिलित नहीं किए गए हैं क्योंकि इसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का विक्रय अधिकांश राजकीय खण्ड (गवर्नमेन्ट सेक्टर) से बाहर किया जाता है । इन प्रतिष्ठानों में वस्तुओं और सेवाओं पर चालू व्यय एक अन्तवर्ती व्यय (इण्टरमीडिएट एक्सपेण्डीचर) है जो उत्पादक व्यय का द्योतक है न कि सरकार द्वारा व्यवस्थित अन्तिम वस्तुओं और सेवाओं पर किए गए व्यय का है । कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण में सामान्यता प्राप्तियां सम्मिलित नहीं हैं, केवल वे प्राप्तियां ही सम्मिलित हैं जो किसी वस्तु और सेवाओं पर व्यय को उस सीमा तक कम कर देती है । इनके उदाहरण है विक्रय से प्राप्तियां अथवा इसी प्रकार की वसूलियां, अन्य सभी प्राप्तियां जिनमें कर तथा ऋण सम्मिलित है, सामान्य संहृत निधि के अंश समझे जाते हैं और उसमें से सभी प्रकार के व्ययों की व्यवस्था की जाती है ।

6.4–आय-व्ययक में दिए गए वर्गीकरण का पूर्णतया अनुसरण न करते हुए व्यय की सम्पूर्ण मदों को कार्य के आधार पर व्यापक वर्गों में वर्ग बद्ध किया गया है । इस प्रकार कार्य-सम्बन्धी वर्गीकरण में शिक्षा पर सभी व्यय को शिक्षा उप शीर्षक के अन्तर्गत ही रखा गया है । आय-व्ययक में यह चाहे कहीं भी दिखाया गया हो । इस सिद्धान्त का अपवाद वे शिक्षा सम्बन्धी कार्य-कलाप जो सरकार की अन्य सेवाओं के अभिन्न अंग हैं, जैसे "पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय" पुलिस शीर्षक में तथा "बाल सुधार विद्यालय" कारागार शीर्षक के अन्तर्गत रखे गये हैं । पुन: आय-व्ययक के कुछ शीर्षक जैसे सामुदायिक विकास, राष्ट्रीय प्रसार सेवा, प्रकीर्ण सेवाएं, सामान्य सेवायें प्रकीर्ण सामाजिक तथा विकास सम्बन्धी संगठन, सार्वजनिक निर्माण-कार्य, ऋण इत्यादि के अन्तर्गत व्ययों को विभाजित करके कार्य के आधार पर वर्गीकरण के उचित शीर्षकों के अन्तर्गत स्थानान्तरित कर दिया गया है । सार्वजनिक निर्माण-कार्य अधिष्ठान में सम्बन्धित व्ययों का सम्बन्धित कार्यभार शीर्षकों में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए गए कार्यों पर व्यय के अनुपात में विभाजित कर दिया गया है ।

6.5–उपरोक्त दृष्टिकोण से व्यय की विभिन्न मदों को कार्य के आधार पर मुख्यत: निम्न नौ वर्गों में बांटा गया है ––

(1) सामान्य सेवायें	(4) स्वास्थ्य	(7) सांस्कृतिक एवं धार्मिक सेवायें
(2) सुरक्षा	(5) सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धी सेवायें	(8) आर्थिक सेवायें
(3) शिक्षा	(6) आवास एवं सामुदायिक सेवायें	(9) अन्य सेवायें

इन सेवाओं की विषय वस्तु का उल्लेख अध्याय-7 में किया गया है––

(III) सारणी

6.6–सारणी 6.1, 6.2 तथा 6.3 में उत्तर प्रदेश के क्रमश: वर्ष 1990–91 (वास्तविक), 1991–92 (पुनरीक्षित) तथा 1992–93 (आय-व्ययक) के लिए व्यय का आर्थिक एवं कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है । इन सारणियों में व्यय को आर्थिक एवं कार्य दोनों दृष्टिकोण के साथ-साथ वर्गीकृत किया गया है । कार्य वर्गीकरण के मुख्य नौ भाग हैं, जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है । आर्थिक वर्गीकरण के व्यापक वर्ग, चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय है । कुल व्यय में वित्तीय परिसंपत्ति में लगाई गई पुंजी तथा सार्वजनिक ऋण की अदायगियां भी शामिल हैं, दूसरा तरीका यह हो सकता था कि कुल व्यय में सार्वजनिक ऋणों की अदायगियां की शामिल न किया जाता और वित्तीय निवेशों का शुद्ध रूप में प्रकट किया जाता । क्योंकि हमें सार्वजनिक ऋणों की अदायगियों के साथ-साथ दिए गए ऋण के परिणाम जानने की आवश्यकता रहती है । इसलिए इन मदों को कुल व्यय में सम्मिलित कर लिया गया है ।

6.7–सारणी 6.4 व 6.6 में क्रमश: आर्थिक वर्गों तथा कार्य सम्बन्धी वर्गों के कुल व्यय के वितरण तथा 6.5 व 6.7 में क्रमश: उनके प्रतिशत वितरण की स्थिति प्रस्तुत की गई है । सारणी 6.8 में विकासगत तथा अविकासगत व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है ।

6.8–आगे के पृष्ठों पर सारणी दी गई है ।

सारिणी

आर्थिक एवं कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण

कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण	आर्थिक वर्गीकरण	चालू व्यय							
		खाते घटायें (–) सम्बन्धी वस्तुओं चालू व्यय की बिक्री	खाते सम्बन्धी शुद्ध व्यय	साधारण ऋण पर ब्याज	राज सहायता	परिवारों के आय खाते में तथा अन्य संस्थाओं को अन्तरण	स्थानीय निकायों को चालू कार्य संचालन के लिए अन्तरण		कुल चालू व्यय (4 से 8) –
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1–सामान्य सेवायें	139753	3183	136570	..	..	13561	10708	160839	
1.1–सामान्य प्रशासन तथा सार्वजनिक शान्ति एवं व्यवस्था	139525	3183	136342	..	..	13332	10708	160382	
1.1.1–सामान्य प्रशासन	18714	547	18167	..	..	324	..	18491	
1.1.2–करों की उगाही का व्यय	17656	910	16746	..	..	2	..	16748	
1.1.3–न्याय	9155	30	9125	..	..	..	..	9125	
1.1.4–कारागार	3189	69	3120	..	..	7	..	3127	
1.1.5–पुलिस	69426	1391	68035	..	..	62	..	68097	
1.1.6–अन्य सामान्य सेवायें	21385	236	21149	..	..	12937	10708	44794	
1.2–सामान्य शोध	228	..	228	—	..	229	..	457	
2–सुरक्षा	5360	2	5358	..	..	301	..	5659	
3–शिक्षा	27040	3367	23673	..	..	197351	..	221024	
3.1–सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	5811	..	5811	..	..	685	..	6496	
3.2–स्कूलों, विश्वविद्यालय एवं अन्य शिक्षा संबंधी सुविधायें	21229	3367	17862	..	..	196666	..	214528	
4–स्वास्थ्य	41968	772	41196	..	..	907	8	42111	
4.1–सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	2660	..	2660	..	..	2	..	2662	
4.2–अस्पतालों, दवाखानों एवं अन्य व्यक्तिगत, स्वास्थ्य सेवायें	39308	772	38536	..		905	8	39449	
5–सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धी सेवायें	26432	212	26220	..	..	14247	33	40500	
5.1–समाज कल्याण सवायें	26066	212	25854	..	..	10291	33	36178	
5.2–समाज सुरक्षा सवायें	366	..	366	..	..	3956	..	4322	
6–आवास एवं सामुदायिक सेवायें	13354	7	13347	..	..	911	241	14499	
7–सांस्कृतिक एवं धार्मिक सेवायें	2405	38	2367	..	..	406	..	2773	
8–आर्थिक सेवायें	64422	3437	60985	..	63888	40262	1381	166516	
8.1–सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	5045	131	4914	..	..	..	..	4914	
8.2–कृषि, वन, सिंचाई, मत्स्य एवं शिकार	30707	1540	29167	..	57911	19985	6	407069	
8.3–खनिज, उद्योग एवं निर्माण	2956	1577	1379	..	5977	387	..	7743	
8.4–विद्युत, गैस, वाष्प एवं पानी	770	2	768	..	..	19491	20	20279	
8.5–परमाणविक ऊर्जा	..	..	..	..	..	..	..	..	
8.6–परिवहन एवं संचार	22273	13	22260	..	..	2	1355	23617	
8.7–अन्य आर्थिक सेवायें	2671	174	2497	..	..	397	..	2894	
9–अन्य सेवायें	1207	..	1207	105090	..	5007	..	111304	
9.1–विपदा सहायता	1202	..	1202	..	..	5003	..	6205	
9.2–अन्य विविध कार्य	5	..	5	105090	..	4	..	105099	
योग	321941	11018	310923	105090	63888	272953	12371	765225	

—6.1

1990-91 (वास्तविक व्यय) (लाख रुपयों में)

पूंजीगत परिव्यय										
कुल स्थिर पूंजी निर्माण		स्टाकों में शुद्ध वृद्धि	पूंजी की अन्तरण		पूंजी शेयरों में निवेश	ऋण और अग्रिम		सार्वजनिक ऋणों की अदायगियां	कुल पूंजीगत व्यय (10 से 18)	कुल योग (9+19)
भवन एवं अन्य निर्माण-कार्य	मशीनें एवं उपकरण		स्थानीय निकायों को	अन्य सेक्टरों को		स्थानीय निकायों को	अन्य सेक्टरों को			
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5637	2307	(—)53	2860	..	..	..	..	..	10751	171590
5635	2256	(—)53	2860	..	..	..	..	..	10698	171080
2225	185	(—)53	..	..	..	..	..	..	2357	20848
466	126	..	..	..	..	..	..	..	592	17340
1358	27	..	..	..	..	..	..	..	1385	10510
104	27	..	..	..	..	..		..	131	3258
1420	1779	..	..	..	..	..	..	..	3199	71296
62	112	..	2860	..	..	..	..	..	3034	47828
2	51	..	..	..	..	..	..	..	53	510
13	12	..	..	..	..	..	..	..	25	5684
3708	890	..	..	5392	..	..	24	..	10014	231038
97	48	..	..	..	..	..	..	..	145	6641
3611	842	..	..	5392	..	..	24		9869	224397
5725	474	..	..	..	..	..	..	..	6199	48310
16	4	..	..	..	..	..	..	..	20	2682
5709	470	..	..	..	..	..	..	..	6179	45628
533	183	..	..	911	..	..	..	..	1677	42177
583	183	..	..	911	..	..	..	..	1677	37855
..	..	..	..	..	..	..	..		..	4322
34994	35	..	5206	4119	40	4782	2302	..	51478	45977
1517	183	..	..	7	73	..	10	..	1790	4563
100669	3175	31807	997	27158	17226	..	95572	..	258604	425120
93	699	..	..	..	30	..	..	..	822	5736
48870	2140	573	..	21707	501	..	7510	..	81301	188370
442	27		..	898	12287	..	4941	...	18595	26338
575	..	..	25	3296	541	..	79474	..	83911	104190
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
50685	306	(—)116	972	1184	1428	..	549	..	55008	78625
4	3	13350	..	73	2439	..	3098	..	18967	21861
..	..	..	..	(—)168	..	..	2	52986	52820	164124
..	..	..		..	..	..	2	..	2	62007
..	..	..	..	(—)168	..	..	..	52986	52818	157917
152846	7259	13754	9063	37419	17339	4782	97910	52986	393358	1158583

सारणी

आर्थिक एवं कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण

कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण	आर्थिक वर्गीकरण	चालू व्यय: खपत सम्बन्धी चालू व्यय	घटायें (-) वस्तुओं की बिक्री	खपत सम्बन्धी शुद्ध व्यय	साधारण राज ऋण पर ब्याज	सहायता	परिवारों के आय खाते में तथा अन्य संस्थाओं को अन्तरण	स्थानीय निकायों को चालू कार्य संचालन के लिए अन्तरण	कुल चालू व्यय (4 से 8)
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1—सामान्य सेवायें	142016	3222	138794	..	..		32364	18198	189356
1.1—सामान्य प्रशासन तथा सार्वजनिक शान्ति एवं व्यवस्था	141750	3216	138534	..	..		32151	18198	188883
1.1.1—सामान्य प्रशासन	19883	810	19073	..	..		671	..	19744
1.1.2—करों की उगाही का व्यय	16441	220	16221	..	..		6	..	16227
1.1.3—न्याय	9143	189	8954	..	..		..	..	8954
1.1.4—कारागार	3398	396	3002	..	..		5	..	3007
1.1.5—पुलिस	71439	1580	69859	..	..		96	..	69955
1.1.6—अन्य सामान्य सेवायें	21446	21	21425	..	..		31373	18198	70996
1.2—सामान्य शोध	266	6	260	..	..		213	..	473
2—सुरक्षा	3685	..	3685	..	.		604	..	4289
3—शिक्षा	28474	2949	25525	..	..		195095	..	220620
3.1—सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	5650	..	5650	..	..		1467	..	7117
3.2—स्कूलों, विश्वविद्यालय एवं अन्य शिक्षा संबंधी सुविधाएं	22824	2949	19875	..	..		193623	..	213503
4—स्वास्थ्य	39780	232	39548	..	..		1721	4	41273
4.1—सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	2209	..	2209	..	..		5	..	2212
4.2—अस्पतालों, दवाखानों एवं अन्य व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवायें	37571	232	37339	..	..		1718	4	39061
5—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण संबंधी सेवायें	28100	17	28083	..	..		14764	5	42852
5.1—समाज कल्याण सेवायें	27677	17	27660	..	..		10748	5	38413
5.2—समाज सुरक्षा सिवाये	423	..	423	..	.		4016	..	4439
6—आवास एवं सामुदायिक सेवायें	14463	51	14412	..	.		1044	719	16175
7—सांस्कृतिक एवं धार्मिक सेवायें	2590	15	2575	..	..		562	..	3137
8—आर्थिक सेवायें	56961	5351	51610	..	73449		45480	2229	172668
8.1—सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	5477	253	5224	..	..		64	..	5288
8.2—कृषि, वन, सिंचाई, मत्स्य एवं शिकार	29780	1962	27818	..	67305		20190	..	113135
8.3—खनिज, उद्योग एवं निर्माण	3050	2551	499	..	6144		893	..	7536
8.4—विद्युत, गैस, वाष्प एवं पानी	605	150	455	..	..		19567	3	20025
8.5—परमाणविक उर्जा	..	..	..	..	..		..	..	..
8.6—परिवहन एवं संचार	15784	27	15757	..	..		2	2126	17885
8.7—अन्य आर्थिक सेवायें	2265	408	1857	..	..		4764	..	6621
9—अन्य सेवायें	1389	..	1389	139817	..		11567	..	152773
9.1—विपदा सहायता	1385	..	1385	..	..		11544	..	12929
9.2—अन्य विविध कार्य	4	..	4	139817	..		23	..	139844
योग	317458	11837	305621	139817	73449		303201	21055	843143

—6.2

1991–92 (पुनरीक्षित व्यय)

(लाख रुपयों में)

पूंजीगत परिव्यय										
कुल स्थिर पूंजी निर्माण		पूंजी अन्तरण			ऋण और अग्रिम				कुल	कुल योग (9+19)
		स्टाकों में शुद्ध वृद्धि	स्थानीय निकायों को	अन्य सेक्टरों को	पूंजी क्षेत्रों में निवेश	स्थानीय निकायों को	अन्य सेक्टरों को	सार्वजनिक ऋणों की अदायगियां	पूंजीगत व्यय (10 से 18)	
भवन एवं अन्य निर्माण-कार्य	मशीन एवं उपकरण									
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4157	4459	..	2956	..	..	..	..		11572	200928
4126	4407	..	2956	..	..	..	..	..	11489	200372
1639	423	..	..	..	..	..	..	..	2062	21806
157	89	..	..	..	..	..	..	..	246	16473
285	26	..	..	..	..	..	..	..	311	9265
1042	465	..	..	..	..	..	..	..	1507	4514
896	3298	..	..	..	..	..	..	.	4194	74149
107	106	..	2956	..	..	..	..	..	3169	74165
31	52	..	..	..	..	..	..	..	83	556
16	7	..	..	..	1	..	..	..	24	4313
4517	1455	..	..	2501	..	..	30	..	8503	229123
9	194	..	..	..	..	..	..	..	203	7320
4508	1261	..	..	2501	..	..	30	..	8300	221803
5455	521	..	..	..	..	..	..	..	5976	47249
2	3	..	..	..	..	..	..	..	5	2217
5453	518	..	..	..	..	..	..	..	5971	45032
1955	100	..	..	887	663	..	237	..	3842	46694
1955	100	..	..	887	663	..	237	..	3842	42255
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4439
39030	132	..	4096	7073	410	4878	4410	..	59629	75 04
1351	49	..	..	10	25	..	7	..	1442	4579
96860	4053	(—) 1237	1949	26122	12825	645	147595	..	288812	461480
63	548	..	..	..	9	..	25	..	645	5933
41853	2855	1	..	21279	1036	..	9001	..	76025	191338
365	59	..	..	1413	9113	..	10334	..	21284	28820
522	..	..	..	3314	.	645	124139	..	128620	148645
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
54056	591	400	1949	1	1500	..	830	..	59327	77212
1	..	(—)1638	..	115	1167	..	3266	..	2911	9532
(—)7	..	..	..	1	..	..	7	57488	57489	219262
(—)7	..	..	..	..	..	..	7	..	..	12929
..	..	..	..	1	..	..	..	57488	57489	197333
153334	10776	(—)1237	9001	36594	13524	5523	152286	57488	437289	1280432

सारणी

आर्थिक एवं कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण

कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण	आर्थिक वर्गीकरण	चालू व्यय							
		खपत सम्बन्धी चालू व्यय	घटायें (-) वस्तुओं की बिक्री	खपत सम्बन्धी शुद्ध व्यय	साधारण ऋण पर ब्याज	राज सहायता	परिवारों के आय खाते में तथा अन्य संस्थाओं को अन्तरण	स्थानीय निकायों को चालू कार्य संचालन के लिए अन्तरण	कुल चालू व्यय (4 से 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1–सामान्य सेवायें	156790	2539	154251	..	..	46426	19605	220282	
1.1–सामान्य प्रशासन तथा सार्वजनिक शान्ति एवं व्यवस्था	156465	2532	153933	..	..	46148	19605	219686	
1.1.1–सामान्य प्रशासन	18268	842	17426	..	..	102	..	17528	
1.1.2–करों की उगाही का व्यय	17818	221	17597	..	..	6	..	17603	
1.1.3–न्याय	10387	187	10200	..	..	..	..	10200	
1.1.4–कारागार	3479	406	3073	..	..	6	..	3079	
1.1.5–पुलिस	84548	855	83693	..	..	85	..	83778	
1.1.6–अन्य सामान्य सेवायें	21965	21	21944	..	..	45949	19605	87498	
1.2–सामान्य शोध	325	7	318	..	..	278	..	596	
2–सुरक्षा	4394	..	4394	..	..	456	..	4850	
3–शिक्षा	33457	3176	30281	..	..	223806	..	254087	
3.1–सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	6437	..	6437	..	..	804	..	7241	
3.2–स्कूलों, विश्वविद्यालय एवं अन्य शिक्षा सबधी सुविधाएं	27020	3176	23844	..	..	223002	..	246846	
4–स्वास्थ्य	44505	213	44292	..	..	1137	4	45433	
4.1–सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	2652	..	2652	..	..	2	..	2654	
4.2–अस्पतालों, दवाखानों, एवं अन्य व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवायें	41853	213	41640	..	..	1135	4	42779	
5–सामाजिक सुरक्षा एव कल्याण संबंधी सेवायें	23529	18	23511	..	..	16182	5	39698	
5.1–समाज कल्याण सेवायें	23072	18	23054	..	..	10698	5	33757	
5.2–समाज सुरक्षा सेवायें	457	..	457	..	..	5484	..	5941	
6–आवास एवं सामुदायिक सेवायें	15955	51	15904	..	..	1112	394	17410	
7–सांस्कृतिक एवं धार्मिक सेवायें	2891	15	2876	..	..	463	..	3339	
8–आर्थिक सेवायें	63677	5800	57877	..	74311	30430	1797	164415	
8.1–सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	6128	254	5874	..	..	33	..	5907	
8.2–कृषि, वन, सिंचाई, मत्स्य एवं शिकार	33001	2057	30944	..	70328	11421	..	112693	
8.3–खनिज, उद्योग एवं निर्माण	3719	2898	841	..	3983	2361	2	7187	
8.4–विद्युत, गैस, वाष्प एवं पानी	695	150	545	..	..	16115	..	16660	
8.5–परमाणविक ऊर्जा	..	..	..	..	..	..	..	..	
8.6–परिवहन एवं संचार	17428	30	17398	..	..	2	1795	19195	
8.7–अन्य आर्थिक सेवायें	2686	411	2275	..	..	498	..	2773	
9–अन्य सेवायें	547	..	547	171838	..	4123	..	176508	
9.1–विपदा सहायता	542	..	542	..	..	4101	..	4643	
9.2–अन्य विविध कार्य	5	..	5	171838	..	22	..	171865	
योग	345745	11812	333933	171838	74311	324135	21805	926022	

-6.3

1992-93 (आय-व्ययक अनुमानित व्यय) (लाख रुपयों में)

पूंजीगत परिव्यय										
कुल स्थिर पूंजी निर्माण		स्टाकों में शुद्ध वृद्धि	पूंजी अन्तरण		पूंजी शेयरों में निवेश	ऋण और अग्रिम		कुल सार्वजनिक ऋणों की अदायगियां	पूंजीगत व्यय (10 से 18)	कुल योग (9+19)
भवन एवं अन्य निर्माण कार्य	मशीन एवं उपकरण		स्थानीय निकायों को	अन्य सेक्टरों को		स्थानीय निकायों को	अन्य सेक्टरों को			
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4644	2742	..	2939	..	..	..	..	..	10325	230687
4612	2698	..	2939	..	..	..	..	..	10249	229935
1944	196	..	..	..	..	..	..	..	2140	19663
180	71	..	..	..	..	..	..	..	251	17854
396	29	..	..	..	..	..	..	..	425	10625
590	13	..	..	..	..	..	..	..	603	3682
1317	1932	..	..	..	..	..	..	..	3249	87027
185	457	..	2939	..	..	..	..	..	3581	91079
32	44	..	..	..	..	..	..		76	672
41	7	..	..	..	..	..	..	..	48	4898
4330	1032	..	..	1143	..	..	30	..	6535	260622
22	63	..	..	..	..	..	..	..	85	7326
4308	969	..	..	1143	..	..	30	..	6458	253296
4648	494	..	..	..	..	..	..	..	5142	50575
2	11	..	..	..	..	..	..	..	13	2667
4646	483	..	..	..	..	..	..	..	5129	47908
530	97	..	..	788	10	..	..	..	1425	41123
530	95	..	..	788	10	..	..	..	1423	35180
..	2	..	..	..	..	..	..	..	2	5943
43352	123	..	2821	7084	20	4086	4673	..	62159	79569
786	37	..	..	10	..	..	..	..	833	4172
103875	3717	(-)2739	1715	21961	16193	..	97670	..	247392	411807
105	176	..	..	..	29	..	25	..	335	6242
50677	2791	1	..	18108	1171	..	11691	..	84439	197132
287	44	..	..	783	14728	..	4764	..	20606	27793
584	..	..	..	3058	..	..	78919	..	82561	99221
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
57222	706	400	1715	2	..	..	775	..	60820	80015
..	..	(—)3140	..	10	265	..	1496	..	(—)1369	1404
..	..	..	..	1	..	..	..	69859	69860	246368
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4643
..	..	..	..	1	..	..	..	69859	69860	241725
167206	8249	(—)2739	7475	30987	16223	4086	102373	69859	403719	1329741

सारणी–6.4

आय-व्ययक का आर्थिक वर्गीकरण

(लाख रुपयों में)

मद	वास्तविक 1990–91	पुनरीक्षित अनुमान 1991–92	आय-व्ययक अनुमान 1992–93
1	2	3	4
1—चालू व्यय	765225	843143	926022
1.1—आपत सम्बन्धी शुद्ध व्यय	310923	305621	333933
1.2—साधारण ऋण पर ब्याज	105098	139817	171838
1.3—राज सहायता	63880	73449	74311
1.4—परिवारों के आय खाते में तथा अन्य संस्थाओं को अन्तरण	272953	303201	324135
1.5—स्थानीय निकायों को चालू कार्य संचालन के लिए अन्तरण	12371	21055	21805
2—पूंजीगत व्यय	393358	437289	403719
2.1—कुल स्थिर पूंजी निर्माण	160105	164110	175455
2.1.1—भवन एवं अन्य निर्माण-कार्य	152846	153334	167206
2.1.2—मशीन एवं उपकरण ..	7259	10776	8249
2.2—स्टाकों में शुद्ध वृद्धि	13754	(–)1237	(–)2739
2.3—पूंजीगत अन्तरण	46482	45595	38462
2.3.1—स्थानीय निकायों को	9063	9001	7475
2.3.2—अन्य सेक्टरों को	37419	36594	30987
2.4—पूंजी शेयरों में निवेश	17339	13524	16223
2.5—ऋण एवं अग्रिम	102692	157809	106459
2.5.1—स्थानीय निकायों को ..	4782	5523	4086
2.5.2—अन्य सेक्टरों को	97910	152286	102373
2.6—सार्वजनिक ऋणों की अदायगियां ..	52986	57488	69859
कुल योग ..	1158583	1280432	1329741

Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No D-7910
Date 16.2.94

राज्य सरकार के चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय

o पुनरीक्षित अनुमान * आय व्ययक अनुमान

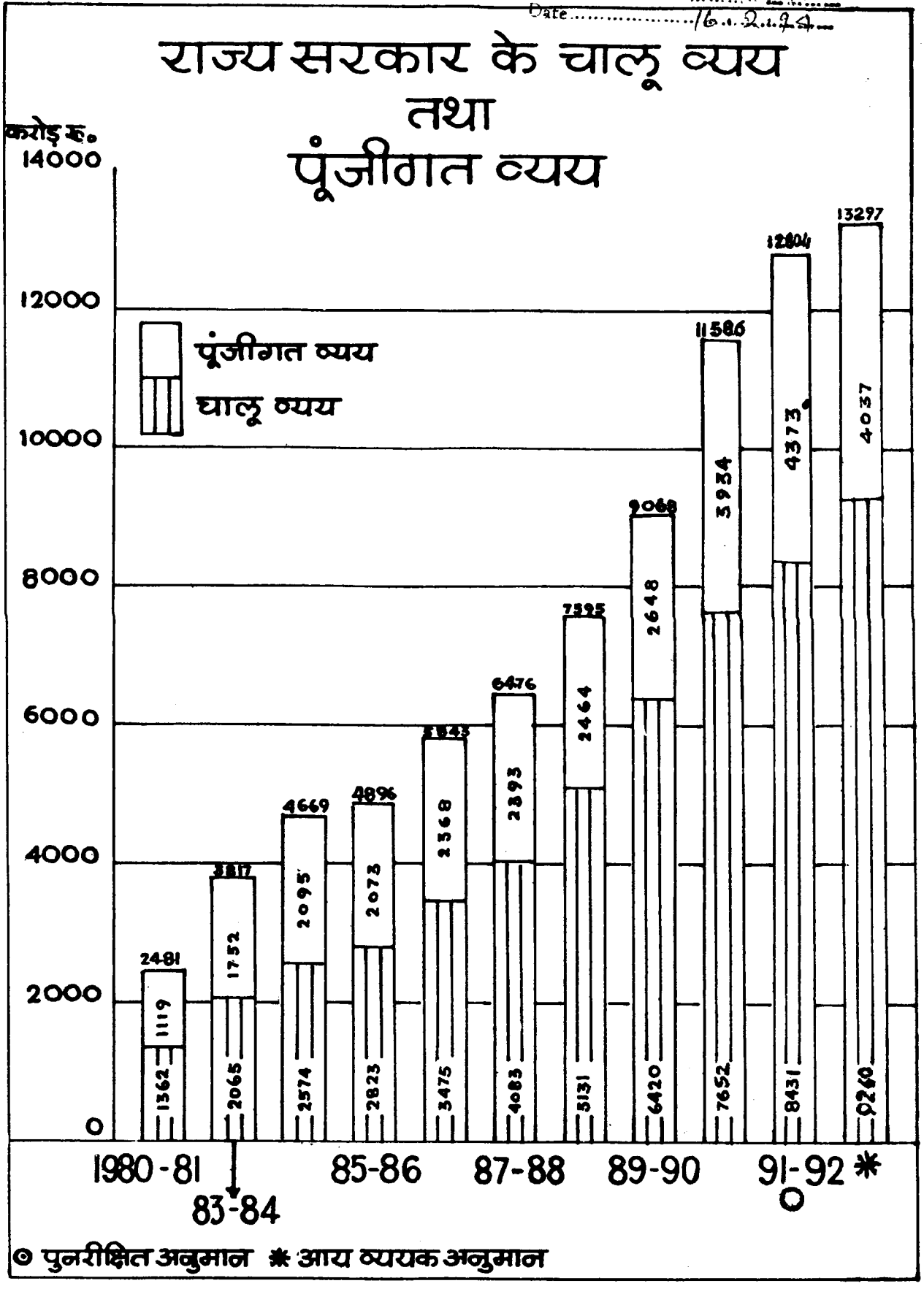

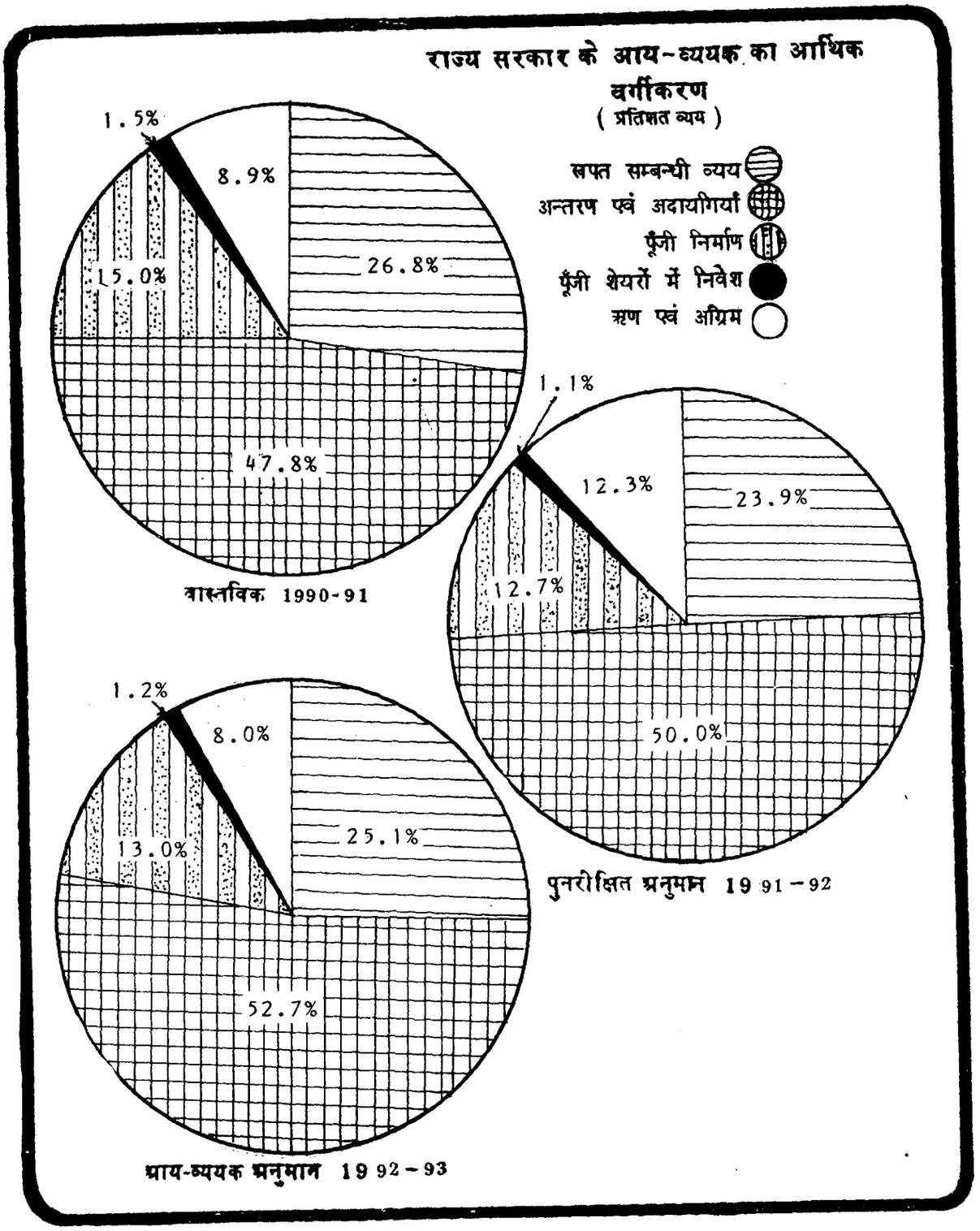

राज्य सरकार के आय-व्ययक का आर्थिक वर्गीकरण

(प्रतिशत व्यय)

सारणी–6.5

आर्थिक वर्गीकरण––प्रतिशत वितरण

(प्रतिशत

आर्थिक वर्गीकरण		वास्तविक 1990-91	पुनरीक्षित अनुमान 1991-92	आय-व्ययक अनुमान 1992-93
1		2	3	4
1––चालू व्यय	..	66.0	65.8	69.6
1.1––वेतन संबंधी शुद्ध व्यय	..	26.8	23.9	25.1
1.2––साधारण ऋण पर ब्याज	..	9.1	10.9	12.9
1.3––राज सहायतायें	..	5.5	5.7	5.6
1.4––परिवारों के आय खाते में तथा अन्य संस्थाओं को अन्तरण	..	23.6	23.7	24.4
1.5––स्थानीय निकायों को चालू कार्य संचालन के लिये अन्तरण	..	1.0	1.6	1.6
2––पूंजीगत व्यय	..	34.0	34.2	30.4
2.1––कुल स्थिर पूंजी निर्माण	..	13.8	12.8	13.2
2.1.1––भवन एवं अन्य निर्माण कार्य	..	13.2	12.0	12.6
2.1.2––मशीनें एवं उपकरण	..	0.6	0.8	0.6
2.2––स्टाकों में शुद्ध वृद्धि	..	1.2	(–)0.1	(–)0.2
2.3––पूंजीगत अन्तरण	..	4.0	3.6	2.9
2.3.1––स्थानीय निकायों को	..	0.8	0.7	0.6
2.3.2––अन्य सेक्टरों को	..	3.2	2.9	2.3
2.4––पूंजी शेयरों में निवेश	..	1.5	1.1	1.2
2.5––ऋण एवं अग्रिम	..	8.9	12.3	8.0
2.5.1––स्थानीय निकायों को	..	0.4	0.4	0.3
2.5.2––अन्य सेक्टरों को	..	8.5	11.9	7.7
2.6––सार्वजनिक ऋणों की अदायगियां	..	4.6	4.5	5.3
कुल योग	..	100.0	100.0	100.0

सारणी–6.6

आय-व्ययक का कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण

(लाख रुपयों में)

मद		वास्तविक 1990–91	पुनरीक्षित अनुमान 1991–92	आय-व्ययक अनुमान 1992–93
1		2	3	4
1–सामान्य सेवायें	..	171590	200928	230607
1.1–सामान्य प्रशासन तथा सार्वजनिक शांति एवं व्यवस्था	..	171080	200372	229935
1.1.1–सामान्य प्रशासन	..	20848	21806	19668
1.1.2–करों की उगाही का व्यय	..	17340	16473	17854
1.1.3–न्याय	..	10510	9265	10625
1.1.4–कारागार	..	3258	4514	3682
1.1.5–पुलिस	..	71296	74149	87027
1.1.6––अन्य सामान्य सेवायें	..	47828	74165	91079
1.2–सामान्य शोध	..	510	556	672
2–सुरक्षा	..	5684	4313	4898
3–शिक्षा	..	231038	229123	260622
3.1–सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	..	6641	7321	7326
3.2–स्कूलों, विश्वविद्यालयों एवं अन्य शिक्षा संबंधी सुविधायें	..	224397	221803	253296
4–स्वास्थ्य	..	48310	47249	50575
4.1–सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	..	2682	2217	2667
4.2–अस्पतालों, दवाखानों एवं अन्य व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवायें	..	45628	45032	47908
5–सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण संबंधी सेवायें	..	42177	46694	41123
5.1–सामाज कल्याण सेवायें	..	37855	42255	35180
5.2–सामाज सुरक्षा सेवायें	..	4322	4439	5943
6–आवास एवं सामुदायिक सेवायें	..	65977	75804	79569
7–सांस्कृतिक एवं धार्मिक सेवायें	..	4563	4579	4172
8–आर्थिक सेवायें	..	425120	461480	411807
8.1–सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	..	5736	5933	6242
8.2–कृषि, वन, सिंचाई, मत्स्य एवं शिकार	..	188370	191338	197132
8.3–खनिज, उद्योग एवं निर्माण	..	26338	28820	27793
8.4–विद्युत, गैस, वाष्प एवं पानी	..	104190	148645	99221
8.5–परमाणविक ऊर्जा	..	..	..	..
8.6–परिवहन एवं संचार	..	78625	77212	80015
8.7–अन्य वाणिज्यिक सेवायें	..	21861	9532	1404
9–अन्य सेवायें	..	164124	210262	246368
9.1–विपदा सहायता	..	6207	12929	4643
9.2–अन्य विविध कार्य		157917	197333	241725
कुल योग	..	1158583	1280432	1329741

राज्य सरकार के आय-व्ययक का कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण

(प्रतिशत व्यय)

सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण
स्वास्थ्य
शिक्षा
सामान्य सेवाएं
आर्थिक सेवायें
अन्य सेवाएं
सांस्कृतिक एवं धार्मिक सेवाए
आवास एवं सामुदायिक सेवाएं

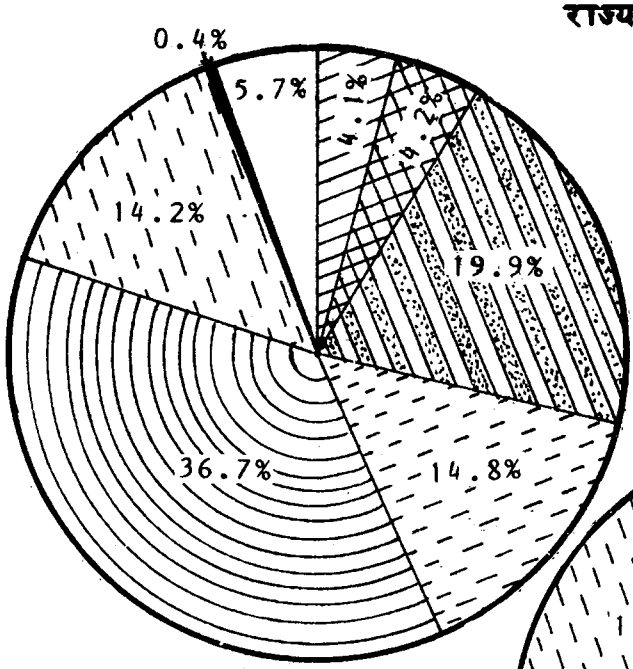

वास्तविक 1990-91

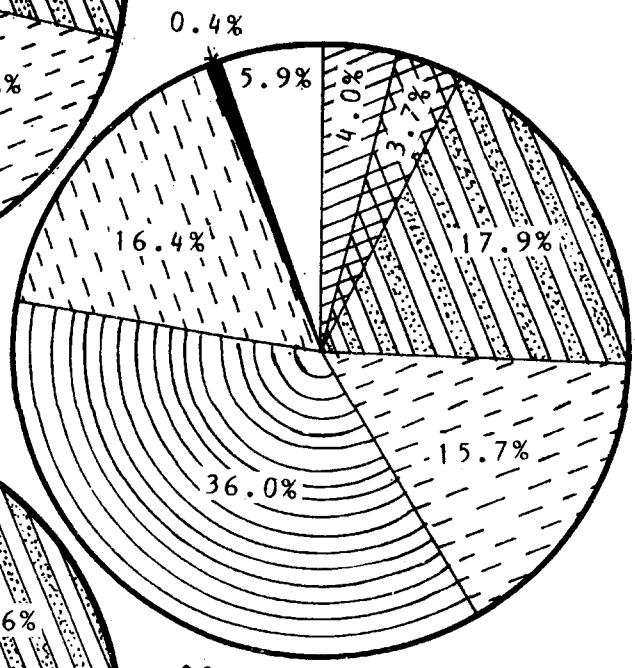

पुनरीक्षित अनुमान 1991-92

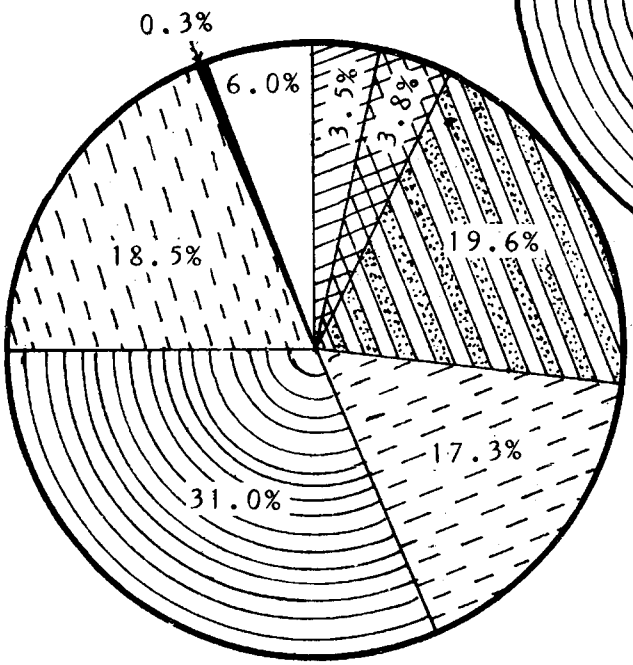

आय-व्ययक अनुमान 1992-93

सारणी–6.7

कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण––प्रतिशत वितरण

(प्रतिशत)

कार्य संबंधी वर्गीकरण	वास्तविक 1990–91	पुनरीक्षित अनुमान 1991–92	आय -व्ययक अनुमान 1992–93
1	2	3	4
1–सामान्य सेवायें ..	14.8	15.7	17.3
1.1–सामान्य प्रशासन तथा सार्वजनिक शांति एवं व्यवस्था ..	14.8	15.7	17.3
1.1.1–सामान्य प्रशासन ..	1.8	1.7	1.5
1.1.2–करों की उगाही का व्यय ..	1.5	1.3	1.3
1.1.3–न्याय ..	0.9	0.7	0.8
1.1.4–कारागार ..	0.3	0.4	0.3
1.1.5–पुलिस ..	6.2	5.8	6.5
1.1.6–अन्य सामान्य सेवायें ..	4.1	5.8	6.9
1.2–सामान्य शोध ..	0.0	0.0	0.0
2–सुरक्षा ..	0.5	0.4	0.4
3–शिक्षा ..	19.9	17.9	19.6
3.1–सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध ..	0.6	0.6	0.6
3.2–स्कूलों, विश्वविद्यालय एवं अन्य शिक्षा संबंधी सुविधायें ..	19.3	17.3	19.0
4–स्वास्थ्य ..	4.2	3.7	3.8
4.1–सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध ..	0.2	0.2	0.2
4.2–अस्पतालों, दवाखानों एवं अन्य व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवायें ..	4.0	3.5	3.6
5–सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धी सेवायें	3.6	3.6	3.1
5.1–समाज कल्याण सेवायें ..	3.2	3.3	2.6
5.2–सामाज सुरक्षा सेवायें ..	0.4	0.3	0.5
6–आवास एवं सामुदायिक सेवायें ..	5.7	5.9	6.0
7–सांस्कृतिक एवं धार्मिक सेवायें ..	0.4	0.4	0.3
8–आर्थिक सेवायें ..	36.7	36.0	31.0
8.1–सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध ..	0.5	0.4	0.5
8.2–कृषि, वन, सिंचाई, मत्स्य एवं शिकार ..	16.2	14.9	14.8
8.3–खनिज, उद्योग एवं निर्माण ..	2.3	2.3	2.1
8.4–विद्युत, गैस, वाष्प एवं पानी ..	9.0	11.6	7.5
8.5–परमाणविक ऊर्जा ..	..	..	..
8.6–परिवहन एवं संचार ..	6.8	6.0	6.0
8.7–अन्य आर्थिक सेवायें ..	1.9	0.8	0.1
9–अन्य सेवायें ..	14.2	16.4	18.5
9.1–विपदा सहायता ..	0.6	1.0	0.3
9.2–अन्य विविध कार्य ..	13.6	15.4	18.2
कुल योग ..	100.0	100.0	100.0

सारणी–6.8

विकासगत तथा अविकासगत व्यय

व्यय की मदें	(व्यय लाख रुपयों में)			(प्रतिशत वितरण)		
	वास्तविक 1990–91	पुनरीक्षित अनुमान 1991–92	आय-व्ययक अनुमान 1992–93	वास्तविक 1990–91	पुनरीक्षित अनुमान 1991–92	आय-व्ययक अनुमान 1992–93
1	2	3	4	5	6	7
1–विकासगत व्यय	811449	858996	841626	70.0	67.1	63.3
1.1–शिक्षा ..	231038	229123	260622	19.9	17.9	19.6
1.2–स्वास्थ्य ..	48310	47249	50575	4.2	3.7	3.8
1.3–सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धी सेवाये	42177	46694	41123	3.6	3.6	3.1
1.4–आवास एवं सामुदायिक सेवायें	65977	75804	79569	5.7	5.9	6.0
1.5–सांस्कृतिक एवं धार्मिक सेवायें	4563	4579	4172	0.4	0.4	0.3
1.6–आर्थिक सेवायें*	419384	455547	405565	36.2	35.6	30.5
2–अविकासगत व्यय .	347134	421436	488115	30.0	32.9	36.7
2.1–सामान्य सेवाये ..	171590	200928	230607	14.8	15.7	17.3
2.2–सुरक्षा ..	5684	4313	4898	0.5	0.4	0.4
2.3–आर्थिक सेवाये ..	573	5933	6242	0.5	0.4	0.5
2.4–अन्य सेवायें** ..	164124	210262	246368	14.2	16.4	18.5
योग ..	1158583	1280432	1329741	100.0	10 .0	100.0

*इस शीर्षक के अन्तर्गत सामान्य प्रशासन एवं विनियम संबंधी व्यय जिनको अविकासगत व्यय के अन्तर्गत दिखाया गया है सम्मिलित नहीं है। इन व्ययों की अविकासगत व्यय के पद 2.3 के अन्तर्गत दिखाया गया है।

**इस मद के अन्तर्गत दैवी आपदाओं के लिये तथा शरणार्थियों के लिये सहायता, सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज, सार्वजनिक ऋणों की अदायगी तथा अन्य ऋण एवं अग्रिम संबंधी चालू व्यय सम्मिलित है।

अध्याय—7

कार्यात्मक वर्गीकरण पर टिप्पणी

1—सामान्य सेवायें—

सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत निम्नलिखित सम्मिलित हैं—

1.1—सामान्य प्रशासन तथा सार्वजनिक शांति एवं व्यवस्था—

1.1.1—सामान्य प्रशासन, विधान मण्डल व निर्वाचन—राज्यपाल, मन्त्रि मण्डल एवं उनके कर्मचारी वर्ग, सचिवालय और मुख्यालयों के अधिष्ठानों, जिला प्रशासन लोक सेवा आयोग, स्थानीय निधि लेखा परीक्षण अधिष्ठान तथा अन्य अधिष्ठानों इत्यादि के पारिश्रमिक तथा भवनों एवं कार्यालयों की सुविधाओं पर व्यय सम्मिलित है।

विधान मण्डल—राज्य के विधान परिषद् के सभापति और उप सभापति, राज्य विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और विधान मण्डल के सदस्यों पर व्यय सम्मिलित है।

निर्वाचन—चुनाव के व्यय में निर्वाचन नामावलियों की तैयारी, वार्षिक पुनरीक्षण तथा छपाई चुनाव कराने आदि के व्यय सम्मिलित हैं।

1.1.2—करों की उगाही पर व्यय—इसके अन्तर्गत वृहत् जोत कर, भू-राजस्व, राज्य आबकारी शुल्क, वाहनों पर कर बिक्रीकर विद्युत् शुल्क उगाही, अन्य कर एवं शुल्क, स्टाम्प निबन्धन फीस की उगाही तथा विभिन्न कर, विभागों के अधिष्ठान तथा भवन, संबंधी व्यय सम्मिलित हैं।

भू-राजस्व के अन्तर्गत भू-अभिलेख, सर्वेक्षण, बन्दोबस्त इत्यादि के व्यय "अन्य सामान्य सेवायें" उपशीर्षक में निहित किये जाने के कारण इस उपवर्ग में नहीं दिखाये गये हैं।

1.1.3—न्याय प्रशासन—न्याय प्रशासन, उच्च न्यायालय, विधि अधिकारी, महाप्रशासक तथा राजन्यासी, दीवानी तथा सत्र न्यायालय, लघुवाद न्यायालय आदि संबंधी व्ययों तथा निःशुल्क कानूनी सहायता को इस उपवर्ग में प्रकट किया गया है।

1.1.4—कारागार—प्रधान निरीक्षक, कारागार प्रशिक्षण विद्यालय, बाल सुधार विद्यालय, कारागार संबंधी डिपो केन्द्रीय कारागार, जिला कारागार, अल्प वयस्क कारागार, हवालातों, पुलिस अभिरक्षण तथा कारागारों के भवन निर्माण संबंधी व्यय को इस उपवर्ग के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है।

1.1.5—पुलिस—इसके अन्तर्गत पुलिस के कार्य-कलापों, उदाहरणार्थ पुलिस प्रशासन, रेलवे पुलिस नियंत्रण, अपराध अनुसंधान विभाग, पुलिस विकास-योजनायें, जिला कार्यकारी दल, पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, ग्राम पुलिस, विशेष पुलिस विभाग योजनायें, राज्य अग्निशमन सेवायें तथा इमारतों के निर्माण सम्बन्धी व्यय सम्मिलित है।

1.1.6—अन्य सामान्य सेवायें—इस उपशीर्षक के अन्तर्गत राज्य सर्वेक्षण, बन्दोबस्त एवं भू-अभिलेखों, अर्थ एवं संख्या निदेशालय, लाटरी, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, सूचना विभाग, नियोजन विभाग, भूमि बन्धक बैंक, राष्ट्रीय बचत योजना, स्वर्ण नियंत्रण, राज्य आस्थान विभाग, पंचायती और स्थानीय प्रशासन के अधिष्ठान तथा भवन सम्बन्धी व्यय और प्रकीर्ण अंशदान सम्मिलित हैं। अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन को सभी कार्य वर्गों में वेतन पर व्यय के अनुपात में बांट दिया गया है।

1.2—सामान्य शोध—इसके अन्तर्गत व्यापारिक एवं सामान्य शोध प्रदान करने वाली संस्थाओं एवं संगठनों तथा तत्सम्बन्धी वैज्ञानिक शोध एवं ज्ञान के विकास सम्बन्धी व्यय सम्मिलित हैं।

2—सुरक्षा—

इसके अन्तर्गत सैनिक स्कूल, सिविल डिफेन्स संबंधी व्यय एवं इनसे संबंधित संयंत्रों के क्रय पर व्यय सम्मिलित है।

3—शिक्षा—

3.1—सामान्य प्रशासन—विनियम एवं शोध—इसके अन्तर्गत शिक्षा विभाग का प्रशासन, शिक्षा परिषद्, पाठ्य पुस्तक कमीशन तथा सामान्य विनियम एवं कार्यप्रणाली पर व्यय सम्मिलित है।

3.2—स्कूलों, विश्वविद्यालयों एवं अन्य शिक्षा संबंधी सुविधायें—इसके अन्तर्गत प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर शिक्षा के विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, कृषि एवं मेडिकल कालेज व उनके अस्पताल, पशु-चिकित्सा शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्गों की पढ़ाई की सुविधा एवं प्राविधिक प्रशिक्षण संस्थाओं, बधिर मूक, एवं अंधों के लिये विद्यालयों के छात्रवृत्ति, मध्यान्ह भोजन, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक सहायता एवं शैक्षिक तथा प्रशिक्षण कार्यों हेतु ऋण एवं अनुदान परिव्यय सम्मिलित हैं।

4—स्वास्थ्य—

4.1—सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध—इसके अन्तर्गत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निदेशन, अस्पताल, डाक्टर, नर्सों आदि के विनियम तथा कार्यप्रणाली, भेषज नियंत्रण व कर्मशाला, जन्म—मृत्यु की रजिस्ट्री, औद्योगिक स्वास्थ्य संगठन तथा उससे संबंधित व्यय एवं शोध कार्य के व्यय सम्मिलित हैं।

4.2—अस्पतालों, दवाखानों एवं अन्य व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवायें—इस उप शीर्षक में उन सेवाओं का समावेश किया गया है जिनका संबंध मानव रोगों के निवारण एवं रोकथाम से है। इसमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिष्ठानों, चिकित्सालयों एवं औषधालयों मस्तिष्क रोग चिकित्सालयों, महामारी की रोकथाम, टीका लगाना, औषधियों और उपकरण तथा उसी प्रकार के अन्य क्षेत्रीय कार्यक्रमों पर व्यय सम्मिलित किये गये हैं। पशु चिकित्सा संबंधी व्यय भी इसी मद में सम्मिलित हैं।

5–सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धी सेवाएं–

5.1–समाज कल्याण सेवायें–इन मदों के अन्तर्गत समाज एवं परिवार कल्याण, खाद्य एवं रसद, स्वर्गकारों पर व्यय, नशाबन्दी, महिला एवं बाल मंगल योजनायें, विधवा आश्रम, अनाथालय, निर्धन विद्यार्थियों, बाल कल्याण रुग्णालयों तथा अवेक्षागृहों के लिये अभ्यागत केन्द्र, अंधों की परिवीक्षा सेवाये, अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी व्यय तथा अनुदान, कल्याणकारी समितियों के सहायतार्थ ऋण इस उप वर्ग में सम्मिलित किये गये हैं ।

5.2–समाज सुरक्षा सेवायें–इस उपवर्ग में समाज सुरक्षा योजनायें, राज्य बीमा, बेरोजगारी भत्ता तथा वृद्धावस्था पेंशन सम्मिलित है ।

6–आवास एवं सामुदायिक सेवायें–

इस मद के अन्तर्गत आवास संबंधी प्रशासन, विनियम और अनुपोषण सुविधायें तथा तत्संबंधी शोध सहायता एवं व्यय सम्मिलित है । इसके अन्तर्गत नगर वियोजन, राष्ट्रीय प्रसार सेवा तथा समुदायिक विकास परियोजनाओं तथा उनसे संबंधित कार्यकलापों की अभिवृद्धि पर व्यय सम्मिलित है । सभी विभागों के आवासीय भवनों पर व्यय इस मद में सम्मिलित है ।

आवास निर्माण योजनायें, मलिन बस्तियों की सफाई कार्य, सड़कों के सफाई तथा अन्य स्वच्छता सेवायें तथा कूड़े एवं मल की निकासी, स्वच्छ एवं धूंआ रहित वातावरण संबंधी व्यय सम्मिलित किया गया है ।

7–सांस्कृतिक एवं धार्मिक सेवायें–

इसके अन्तर्गत आमोद-प्रमोद संबंधी चलचित्रों का उत्पादन, उद्यानों, क्रीड़ा स्थलों, व्यायाम शालाओं, खेलकूद, पुस्तकालय, अजायबघर, सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, एन0सी0सी0 प्रशिक्षण, छात्रावास एवं अन्य आवास स्थान जिनका कार्य चालान वाणिज्यिक तौर पर नहीं किया जाता है तथा अलाभप्रद संस्थायें जो इस प्रकार के कार्यकलाप मे संलग्न है, को सहायतार्थ एवं उनपर व्यय सम्मिलित है । धार्मिक सेवायें जैसे मन्दिरों तथा अन्य धार्मिक संथाओं पर व्यय एवं सामान्य सहायतार्थ संगठनों को अनुदान संबंधी व्यय भी इस वर्ग में सम्मिलित है ।

8–आर्थिक सेवायें–

8.1–सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध–इस उपशीर्षक में आर्थिक विभागों का सामान्य प्रशासन, विनियम तथा वाणिज्यिक पंजीकरण, तकनीकी, अभियंत्रण, सेवायोजन, मानव शक्ति निदेशालय, श्रम विभाग, माप तथा बांट विनियमन संस्थायें एवं उन समस्त उद्योगों के विनियमन, वृद्धि एवं शोध पर व्यय जो किसी विनिर्दिष्ट वर्ग में नहीं है, सम्मिलित है ।

8.2–कृषि, वन सिंचाई मत्स्य एव शिकार––इस उप शीर्षक में इन विभागो तथा चकबन्दी का सामान्य प्रशासन, विनियम, शोध आदि पर व्यय सम्मिलित है । चकबन्दी, कृषि संबंधी प्रदर्शन, प्रचार परिव्यय, कृषि भवनों के निर्माण के लिये ऋण एवं अग्रिम, पशु एवं मत्स्य पालन के विकास तथा संचय संबंधी व्यय, अभिजनन क्रियायें, रोगाणु व्यय तथा तत्संबंधी व्यय, ऋण, अग्रिम एवं अनुदान, दुग्ध संपूर्ति योजना के लिये पूंजीगत परिव्यय, भूमि संरक्षण एवं प्रयोग, कृषि सिंचाई, वन, पशुपालन, मत्स्य एवं वान्य जीवन के संरक्षण एव निवेश, बंजर भूमि के कृषिकरण, पौधरोपण, वनों के प्रयोग, आग संरक्षण तथा कृषक अनुदान सम्मिलित है ।

8.3–खनिज, उद्योग एवं निर्माण कार्य–इसके अन्तर्गत खनिकर्म तथा उद्योगों के निदेशालय, अवीक्षण, शोध विकास, कुटीर उद्योग, खादी एवं हथकरघा उद्योग के व्यय तथा औद्योगिक प्रयोजनार्थ अनुदान एवं औद्योगिक विकास के लिये पूंजीगत परिव्यय आदि निहित है ।

8.4–विद्युत, शक्ति, गैस, वाष्प एवं जल––इसके अन्तर्गत विद्युत शक्ति, गैस एवं वाष्प का उत्पादन, संचारण, वितरण आदि व्यय तथा राजकीय विद्युत परिषद् को ऋण एव अग्रिम तथा जल एकत्रीकरण, शुद्धीकरण, संचारण एवं वितरण सबधी व्यय सम्मिलित हैं

8.5––परमाणविक ऊर्जा–परमाणु ऊर्जा संबंधी प्रशासन एवं शोध पर व्यय, परमाणु ऊर्जा आयोग, अन्तरिक्ष अनुसंधान तथा वैज्ञानिक संस्थाओं पर व्यय व अनुदान इसमें सम्मिलित है ।

8.6–परिवहन तथा संचार––इसके अन्तर्गत सड़कों का सुधार एवं अनुरक्षण, सड़कों के लिये उपयोगिता यंत्र तथा उपकरण, पूंजी अन्तरण जल मार्गों संबंधी व्यय, राष्ट्रीय मार्गों, सड़कों तथा जल मार्गों एवं उनके अधिष्ठानों एवं प्रशासन पर व्यय सम्मिलित है, साथ ही जल, थल एवं वायु द्वारा परिवहन एवं संचार संबंधी व्यय, सड़क परिवहन योजनाओं के चालू व्यय, राज्य कर्मचारी को वाहन क्रय हेतु ऋण आदि इसमें सम्मिलित है ।

8.7––अन्य आर्थिक सेवायें––इसके अन्तर्गत बाढ़ नियंत्रण बहुधन्धी जल योजनायें, अग्रगामी योजनायें, भंडारण, निबन्धक सहकारी समितियों के व्यय का समावेश किया गया है ।

9–अन्य सेवायें–

9.1–विपदा सहायता––सूखा और बाढ़ सहायता, दैवी आपदाओं के लिये सहायता, शरणार्थी सहायता आदि पर व्यय यहां दिखाये गये हैं ।

9.2–अन्य विविध कार्य––वे सेवायें जिनका वर्गीकरण, कार्यात्मक वर्गीकरण के अन्य वर्गों में नहीं किया गया है जैसे प्रीवीपर्स पर व्यय, जमींदारी प्रथा उन्मूलन प्रतिकर, अन्तर्राष्ट्रीय जल विवाद आयोग पर व्यय, भारत सेवा समाज को अनुदान सम्मिलित है । सामान्य ऋणों पर ब्याज, सार्वजनिक ऋणों की अदायगी, अनिर्दिष्ट अनुदान, अन्य घरेलू सेवाओं का अन्तरण तथा प्रकीर्ण ऋण भी इसके उदाहरण है ।

परिशिष्ट–1 (अ)

आय-व्ययक का कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण तथा विकासगत एवं अविकासगत व्यय

(लाख रुपयों में)

मद	1971-72	1973-74	1978-79	1979-80	1984-85	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(अ) 1–सामान्य सेवायें	9686	13993	19243	23951	58834	86859	102930	137039	171590
1.1–सामान्य प्रशासन तथा सार्वजनिक शांति एवं व्यवस्था	9674	13979	19229	23949	58477	86187	102526	136581	171080
1.1.1–सामान्य प्रशासन	1695	1992	3062	4592	7858	12802	13201	17499	20848
1.1.2–करों की उगाही का व्यय	814	978	2677	2775	5890	8945	11773	14756	17340
1.1.3–न्याय	479	611	1076	1230	2991	4554	5200	7161	10510
1.1.4–कारागार	309	434	670	705	1526	2522	2361	3073	3258
1.1.5–पुलिस	3138	4811	7584	9509	23876	36537	45728	57519	71296
1.1.6–अन्य सामान्य सेवायें	3239	5155	4160	5138	16336	20827	24263	36573	47828
1.2–सामान्य शोध	12	14	14	2	357	672	404	458	510
2–सुरक्षा	457	284	822	848	1709	2240	3517	4060	5684
3–शिक्षा	9690	13545	31543	34815	77304	110499	148926	206245	231038
3.1–सामान्य प्रशासन विनियम एवं शोध	371	2564	1349	2374	3869	3588	5240	6872	6641
3.2–स्कूलों, विश्वविद्यालयों एवं अन्य शिक्षा संबंधी सुविधायें	9319	10981	30194	32441	73435	106911	143686	199373	224397
4–स्वास्थ्य	3566	3912	7271	7805	18220	25707	30638	38318	48310
4.1–सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	537	103	391	358	412	1150	1703	2172	2682
4.2–अस्पतालों, दवाखानों एवं अन्य व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवायें	3029	3809	6880	7447	17808	24557	28935	36146	45628
5–सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण संबंधी सेवायें	509	3532	3798	2159	16494	24494	23232	39925	42177
6–आवास एवं सामुदायिक सेवायें	1271	3549	8894	7049	29872	43246	52130	38952	65977
7–सांस्कृतिक एवं धार्मिक सेवायें	49	1133	1091	1405	1721	4638	4143	5531	4563
8–आर्थिक सेवायें	29997	36119	84131	102438	208074	246751	286139	300270	425120
8.1–सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	1239	(–)20	450	4949	2261	3165	1835	2263	5736
8.2–कृषि, वन, सिंचाई, मत्स्य एवं शिकार	11676	15493	39702	51574	85454	127754	159250	162157	188370
8.3–खनिज, उद्योग एवं निर्माण	1600	2447	7980	6935	23218	39775	18316	24273	26338
8.4–विद्युत, गैस, वाष्प एवं पानी	6907	9072	22186	19789	58327	31356	41958	56345	104190
8.5–परमाणविक ऊर्जा	..	..	..	..	..	..	..	..	..
8.6–परिवहन एवं संचार	5475	5614	12320	14251	34249	40444	55967	50780	78625
8.7–अन्य आर्थिक सेवायें	3100	3513	1493	4940	4565	4257	8813	4452	21861
9–अन्य सेवायें	14475	13597	21738	23023	54650	103170	107879	136412	164124
कुल योग	69700	89664	178531	203493	466878	647604	759534	906752	1158583
(ब) विकासगत व्यय	45070	50671	136278	150722	349424	45217	543373	626978	811449
(स) अविकासगत व्यय	24630	38993	42253	2771	117454	195434	216161	279774	347134

परिशिष्ट– 1 (ब)

आय-व्ययक का कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण तथा विकासगत एवं अविकासगत व्यय––प्रतिशत वितरण

मद	1971–72	1973–74	1978–79	1979–80	1984–85	1987–88	1988–89	1989–90	1990–91
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(अ) 1–सामान्य सेवायें	13.9	15.6	10.8	11.8	12.6	13.4	13.6	15.1	14.8
1.1––सामान्य प्रशासन तथा सार्वजनिक शांति एवं व्यवस्था	13.9	15.6	10.8	11.8	12.5	13.3	13.5	15.0	14.8
1.1.1–सामान्य प्रशासन	2.4	2.2	1.7	2.3	1.7	2.0	1.7	1.9	1.8
1.1.2–करों की उगाही का व्यय	1.2	1.1	1.5	1.4	1.3	1.4	1.6	1.6	1.5
1.1.3–न्याय	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.9
1.1.4–कारागार	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3
1.1.5–पुलिस	4.5	5.4	4.3	4.7	5.1	5.6	6.0	6.4	6.2
1.1.6–अन्य सामान्य सेवायें	4.7	5.7	2.3	2.5	3.5	3.2	3.2	4.0	4.1
1.2–सामान्य शोध	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
2–सुरक्षा	0.7	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5
3–शिक्षा	13.9	15.1	17.7	17.1	16.5	17.0	19.6	22.8	19.9
3.1–शिक्षा प्रशासन विनियम एवं शोध	0.5	2.9	0.8	1.2	0.8	0.5	0.7	0.8	0.6
3.2–स्कूलों, विश्वविद्यालयों एवं अन्य शिक्षा संबंधी सुविधायें	13.4	12.2	16.9	15.9	15.7	16.5	18.9	22.0	19.3
4–स्वास्थ्य	5.1	4.4	4.0	3.8	3.9	4.0	4.0	4.2	4.2
4.1–सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	0.8	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2
4.2–अस्पतालों, दवाखानों एवं अन्य व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवायें	4.3	4.3	3.8	3.6	3.8	3.8	3.8	4.0	4.0
5–सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण संबंधी सेवायें	0.7	3.9	2.1	1.1	3.5	3.8	3.1	4.4	3.6
6–आवास एवं सामुदायिक सेवायें	1.8	4.0	5.0	3.5	6.4	6.7	6.9	4.3	5.7
7–सांस्कृतिक एवं धार्मिक सेवायें	0.1	1.3	0.6	0.7	0.4	0.7	0.5	0.6	0.4
8–आर्थिक सेवायें	43.0	40.3	47.1	51.3	44.6	38.1	37.6	33.1	36.7
8.1–सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	1.8	0.0	0.3	2.4	0.5	0.5	0.2	0.2	0.5
8.2–कृषि वन, सिंचाई, मत्स्य एवं शिकार	16.7	17.3	22.2	25.4	18.3	19.7	21.0	17.9	16.2
8.3–खनिज, उपयोग एवं निर्माण	2.3	2.7	4.5	3.4	5.0	6.1	2.4	2.7	2.3
8.4–विद्युत, गैस, वाष्प एवं पानी	9.9	10.1	12.4	9.7	12.5	4.8	5.5	6.2	9.0
8.5–परमाणु विद्युत ऊर्जा	..	..	..	..	..	..	..	..	..
8.6–परिवहन एवं संचार	7.8	6.3	6.9	7.0	7.3	6.3	7.4	5.6	6.8
8.7–अन्य आर्थिक सेवायें	4.5	3.9	0.8	2.4	1.0	0.7	1.1	0.5	1.9
9–अन्य सेवायें	20.8	15.1	12.2	11.3	11.7	15.9	14.2	15.0	14.2
कुल योग	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(ब) विकासगत व्यय	64.7	56.5	76.3	74.1	74.8	69.8	71.5	69.2	70.0
(स) अविकासगत व्यय	35.3	43.5	23.7	25.9	25.2	30.2	28.5	30.8	30.0

NIEPA DC D07910